

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व झटके के कारण, मौद्रिक नीति को मार्च 2020 से बहुत सरल बना दिया गया था। मार्च 2020 से रेपो दर में 115 बेसिक प्वाइंट्स (बीपीएस/bps) की कटौती की गई है। इसमें मार्च 2020 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की हुई पहली बैठक में 75 बेसिक प्वाइंट्स (बीपीएस/ bps) और मई 2020 में समिति की हुई दूसरी बैठक में 40 बेसिक प्वाइंट्स (बीपीएस/ bps) की कटौती की गई थी। आगे की बैठकों में पॉलिसी की दरों को अपरिवर्तित रखा गया था लेकिन नकदी सहयोग (लिक्विडिटी सपोर्ट) में बहुत वृद्धि की गई थी। 2020-21 में अब तक प्रणालीगत भुगतान साधन (सिस्टेमिक लिक्विडिटी) अधिक बने रहे। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति के प्रबंधन हेतु ओएमओ, दीर्घावधि रेपो परिचालन, लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन आदि जैसे परंपरागत और गैरपरंपरागत उपायों को अपनाया। हालांकि अर्थव्यवस्था में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों, दोनों ही के द्वारा ऋण वृद्धि को कम करने के कारण वित्तीय प्रवाह बाधित रहा। उच्च आरक्षित धन वृद्धि कम (समायोजित) धन गुणक के कारण पूरी तरह से अनुपातिक धन में परिवर्तित नहीं हुई, रिवर्स रेपो के तहत बैंकों को आरबीआई में बड़ी मात्रा में धनराशि जमा करनी पड़ी। 1 जनवरी 2021 तक बैंकों की ऋण वृद्धि कम हो कर 6.7 प्रतिशत रह गई थी। बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट ऑफटेक में बड़े पैमाने पर 2020-21 में मंदी देखी गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2020 के अंत में 8.21 प्रतिशत थी जो सितंबर 2020 के अंत में कम हो कर 7.49 प्रतिशत रह गया। हालांकि, इसे महामारी के कारण उधारकर्ताओं को दी जाने वाली संपत्ति वर्गीकरण राहत के साथ देखा जाना चाहिए। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात, सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों में हुए सुधार के कारण मार्च 2020 और सितंबर 2020 के बीच 14.7 प्रतिशत से बढ़ कर 15.8 प्रतिशत हो गया। इस वर्ष जमा और उधार दरों में पॉलिसी रेपो दरों के हस्तांतरण में भी सुधार देखा गया और नए रूपये ऋण (फ्रेश रूपी लोन) और बकाया रूपये ऋण (आउटस्टैंडिंग रूपी लोन) पर भारित औसत ऋण दर में क्रमशः 94 बेसिक प्वाइंट्स और 67 बेसिक प्वाइंट्स की कमी आई। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर में 81 बेसिक प्वाइंट्स की कमी हुई। 2020-21 के दौरान 20-01-20201 को निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स का रिकॉर्ड उच्चे स्तर पर पहुँचा और क्रमशः 14,644.7 तथा 49,792.12 पर बंद हुआ। अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आईबीसी के माध्यम से रिकवरी दर 45% से अधिक रही है (आईबीसी की स्थापना से)। कोविड-19 महामारी देखते हुए 6 माह की अवधि के लिए 25 मार्च 2020 को या इसके उपरांत किसी भी चूक के लिए कापॉरेट इनसॉवेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) को निलंबित कर दिया गया। इसे 24 सितंबर 2020 तथा 22 दिसंबर 2020 को दो बार तीन-तीन माह के लिए विस्तारित किया गया निलंबन और निरंतर क्लीयरेंस की वजह से ऐसे कुल मामलों में मामूली कमी आई।

2020-21 के दौरान मौद्रिक विकास

4.1 रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) मार्च 2020 के बाद से पांच बार बैठक कर चुकी है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी ने 2020-21 में होने वाली अपनी पहली दो बैठकों को समय से पहले आयोजित किया। अप्रैल के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक मार्च के आखिरी सप्ताह में और जून के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक 20 मई से 22 मई तक आयोजित की गई। अगस्त और दिसंबर 2020 में होने वाली बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई। एमपीसी में एक नए बाहरी सदस्य के शामिल होने के कारण अक्टूबर में होने वाली बैठक को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। 27 मार्च 2020 से, पॉलिसी रेपो रेट को 115 बेसिक प्वाइंट्स से घटाकर 5.15 प्रतिशत से 4.00 प्रतिशत कर दिया गया है (तालिका 1)। कोविड-19 के कारण पैदा हुई असाधारण स्थिति की वजह से वर्ष 2020-21 के दौरान मौद्रिक नीति से संबंधित उठाए गए कदम आवश्यक थे।

तालिका 1: पॉलिसी दरों में संशोधन

लागू होने की तिथि	रेपो दर (प्रतिशत)	रिवर्स रेपो दर (प्रतिशत)	नकदी आरक्षित अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)	वैधानिक तरलता अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)	बैंक दर/एमएसएफ दर (प्रतिशत)
06-02-2020	5.15	4.90	4.00	18.25	5.40
27-03-2020	4.40	4.00	4.00	18.25	4.65
28-03-2020	4.40	4.00	3.00	18.25	4.65
17-04-2020	4.40	3.75	3.00	18.00	4.65
22-05-2020	4.00	3.35	3.00	18.00	4.25

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: एनडीटीएल: निवल मांग और मियादी देयताएं

4.2 एमपीसी ने 27 मार्च 2020 को अपने पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति कथन में पॉलिसी रेपो रेट को 75 बेसिक प्वाइंट्स से कम कर 5.15 प्रतिशत से 4.40 प्रतिशत करने का फैसला किया था। इसके अलावा, रिवर्स रेपो दर को 90 बेसिक प्वाइंट्स कम कर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया था, इस प्रकार रिजर्व बैंक में निष्क्रिय रूप में धन जमा करने के लिए बैंकों के लिए विषम परस्थिति बनाई गई और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण देने के लिए उन्हें अपनी निधियों का उपयोग करने को विवश किया गया। अर्थव्यवस्था पर पड़े कोविड-19 के प्रभावों को कम करने और विकास को वापस पटरी पर लाने के लिए एमपीसी ने समायोजन का यही रूख बनाए रखने का फैसला किया है। मई 2020 में दूसरी बैठक में एमपीसी ने शुरुआती अनुमानों के मुकाबले महामारी का व्यापक आर्थिक प्रभाव बहुत गंभीर बताने वाले आकलन के आधार पर पॉलिसी रेपो दरों में 40 बेसिक प्वाइंट्स की कटौती कर उसे 4.0 प्रतिशत कर दिया।

4.3 अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 2020 में हुई बैठकों में एमपीसी ने पॉलिसी दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। हालांकि मुद्रास्फीति की दर कुछ महीनों के लिए हाशिए से ऊपर थी, समिति का विचार था कि मुद्रास्फीति को बनाए रखने वाले अंतर्निहित कारकों को झटका लगा है लेकिन अर्थव्यवस्था के अनलॉक होते ही समय के साथ वे वापस पटरी पर लौटेंगे, आपूर्ति श्रृंखला बहाल होगी और गतिविधियां सामान्य होने लगेंगी। आरबीआई ने हाल ही में हुई अपनी एमपीसी की बैठक में अनुमानित जीडीपी विकास दर में संशोधन किया और 2020-21 के लिए इसे (-) 9.5 प्रतिशत की बजाए (-) 7.5 प्रतिशत कर दिया।

4.4 वर्ष 2020-21 के दौरान, अर्थव्यवस्था में अधिक नकदी (लिक्विडिटी) के कारण पिछले कुछ वर्षों की तुलना में मौद्रिक समस्तियों में अधिक वृद्धि देखी गई। वर्ष 2020-21 में अब तक, 15 जनवरी 2021 तक, रिजर्व मनी (M0) में, साल-दर-साल (YoY) विकास में एक वर्ष पहले के 11.4 प्रतिशत की तुलना में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, सीआरआर (CRR) में किए गए बदलावों के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित रिजर्व मनी (M0) में कही अधिक वृद्धि (YoY) दर्ज की गई और यह एक वर्ष पूर्व के 11.0 प्रतिशत की तुलना में 19.2 प्रतिशत रही (चित्र 1)। 2020-21 में अब तक रिजर्व मनी (M0) में विस्तार घटक पक्ष की ओर से परिसंचरण में मुद्रा (करेंसी इन सर्कुलेशन/ CIC) द्वारा संचालित था, जिसमें कोविड-19 की महामारी के बाद की अवधि में तेजी देखी गई। 15 जनवरी, 2021 तक CIC में YoY वृद्धि पिछले वर्ष की 11.6 प्रतिशत की तुलना में 21.9 प्रतिशत की थी (तालिका 2)।

तालिका 2: मौद्रिक समस्तियों में वृद्धि (YoY) (प्रतिशत में)

पद	2015-16	2016-17**	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
परिसंचरण में मुद्रा (CIC)	14.9	-19.7	37.0	16.8	14.5	21.9#
बैंकों के पास नकद	6.6	4.2	-2.1	21.4	15.4	2.1
लोगों के पास नकद	15.2	-20.8	39.2	16.6	14.5	23.1
बैंकों का आरबीआई में जमा	7.8	8.4	3.9	6.4	-9.6	-11.7#
मांग जमा	11.0	18.4	6.2	9.6	6.8	12.8
समय जमा	9.2	10.2	5.8	9.6	8.1	10.5
रिजर्व मनी (M0)	13.1	-12.9	27.3	14.5	9.4	15.2#
संकीर्ण मुद्रा/(नैरो मनी) (M1)	13.5	-3.9	21.8	13.6	11.2	19.0
व्यापक मुद्रा/(ब्रॉड मनी) (M3)	10.1	6.9	9.2	10.5	8.9	12.5


स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: *1 जिनवरी 2021

**: 1 अप्रैल 2016 के मुकाबले 31 मार्च 2017, रिजर्व मनी (M0), परिसंचरण में मुद्रा (CIC) और बैंकों का आरबीआई में जमा को छोड़ कर

#: 15 जनवरी 2021 को

चित्र 1: एमओ (M0), सीआरआर, समायोजित एमओ (M0) और CIC वृद्धि (YoY)




स्रोत: आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक)

4.5 रिजर्व मनी (M0) के स्रोतों में-शुद्ध घरेलू संपत्तियों (एनडीए/ NDA) [सरकार, बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए शुद्ध रिजर्व बैंक क्रेडिट] और शुद्ध विदेशी संपत्तियां (एनएफए/ NFA) आती हैं-2020-21 के दौरान रिजर्व मनी (M0) के बढ़ने का मुख्य कारण थी, और रिजर्व बैंक ने इनकी वजह से ही अधिकृत व्यापारियों (एडी/ Ads) से शुद्ध खरीद की। आरबीआई में केंद्र सरकार के उच्च नकद शेष के कारण वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के तुलना में सरकार के शुद्ध रिजर्व बैंक क्रेडिट में कमी आई। एनडीए/NDA के अन्य घटकों में से बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र (मुख्य रूप से प्राइमरी डीलर) पर शुद्ध रिजर्व बैंक दावे काफी हद तक नकारात्मक बने रहे, जो प्रणाली में अधिक तरलता का होना बताता है (इस बारे में अधिक जानकारी आगे के खंडों में दी गई है)।

4.6 वर्ष 2020-21 में अब तक (1 जनवरी 2021 तक), व्यापक मुद्रा (M3) की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर 12.5 प्रतिशत रही, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 10.1 प्रतिशत थी (चित्र 2)। आरक्षित मुद्रा में हुई अभिप्रायपूर्ण वृद्धि मुद्रा की आपूर्ति में नहीं बदल सकी क्योंकि मुद्रा गुणक (money multiplier) मुद्रा-जमा अनुपात में तेजी से वृद्धि के कारण उदासीन बने रहे और इसके अलावा बड़ी मात्रा में धनराशि रखी गई।


चित्र 2: साल-दर-साल (YoY) हुई व्यापक मुद्रा वृद्धि



स्रोत: आरबीआई

4.7 घटक पक्ष से, सबसे बड़े घटक कुल जमा ने अब तक वर्ष के दौरान M3 के विस्तार में सबसे अधिक योगदान दिया है (चित्र 3)। स्रोतों में, वर्ष के दौरान M3 में वृद्धि के लिए सरकार को बैंक क्रेडिट ने प्रमुख योगदान किया था। बैंकों का, अर्थव्यवस्था में ऋण मांग में आई कमी की स्थितियों के कारण, नकदी एवं जोखिम-मुक्त संपत्तियों जैसे एसएलआर प्रतिभूतियों और सरकारी क्षेत्रों (G-secs) में अधिक निवेश की वजह से सरकार का बैंक क्रेडिट बढ़ा। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक क्रेडिट (ऋण) ने स्रोत पक्ष से M3 के विस्तार में सहयोग किया। एससीबी की साल-दर-साल क्रेडिट विकास दर (SCBs' YoY), एक वर्ष पूर्व इसी समय के दौरान 7.5 प्रतिशत थी जो 1 जनवरी 2021 को 6.7 प्रतिशत रह गई।


चित्र 3: जमा वृद्धि (साल-दर-साल)



स्रोत: आरबीआई

4.8 मुद्रा गुणक (Money multiplier), जिसे $M3/M0$ के अनुपात में मापा जाता है, 1980 से लेकर 2016-17 तक इसमें ज्यादातर वृद्धि ही देखी गई थी, लेकिन उसके बाद से इसमें कमी दर्ज की जा रही है। 31 मार्च 2020 को, मुद्रा गुणक (Money multiplier) 5.5 था, एक वर्ष पहले के 5.6 की तुलना में यह थोड़ा कम है। हालांकि, रिवर्स रेपो के लिए समायोजित-केंद्रीय बैंक के साथ बैंक जमा के लिए विश्लेषणात्मक रूप से-मार्च 2020 के आखिर तक मुद्रा गुणक (Money multiplier) 4.8 रह गया। मुद्रा गुणक (Money multiplier) अक्टूबर 2018 के 5.8 से 1 जनवरी 2021 को, कम हो कर 5.5 रह गया। (चित्र-4) हालांकि, इसी अवधि के दौरान रिवर्स रेपो के लिए समायोजित मुद्रा गुणक (Money multiplier) में बहुत अधिक गिरावट दर्ज की गई और यह 5.7 से 4.5 हो गया। इससे पता चलता है कि मुद्रा आपूर्ति ने आरक्षित धन वृद्धि में केवल आंशिक रूप से योगदान किया है और अर्थव्यवस्था में नकदी का परिसंचरण बिगड़ा हुआ है। मुद्रा गुणक (Money multiplier) और समायोजित धन (adjusted money) के बीच का अंतर बताता है कि आरबीआई के रिवर्स रेपो विंडो के तहत बैंकों का बहुत अधिक धन आरबीआई में जमा है।

चित्र 4: मुद्रा गुणक



स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: रेपो के लिए समायोजित मुद्रा गुणक का अर्थ है प्रक्रिया में प्रयोग किए गए आरक्षित धन में रिवर्स रेपो के तहत आरबीआई में बैंकों की जमा राशि भी आती है।

नकदी की स्थितियां और नकदी प्रबंधन


4.9 2020-21 में अब तक प्रणालीगत नकदी (सिस्टेमिक लिकिवडिटी) लगातार बचत में बनी हुई है जिससे रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न बाधाओं के मद्देनजर नकदी स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए जाने का पता चलता है। 2020-21 के दौरान तरलता के मुख्य संचालक रहे परिसंचरण में मुद्रा (सीआईसी/CIC), सरकार का नकदी शेष और रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा संबंधी संचलन। हालांकि सीआईसी निकासी और सरकार के नकदी शेष के अधिक होने के कारण बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी आई लेकिन रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा प्रबंध ने प्रणालीगत चल निधि को बढ़ाया।

4.10 रिजर्व बैंक ने फरवरी 2020 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रबंधन हेतु कई परंपरागत और गैर-परंपरागत उपायों को लागू किया। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. 6 फरवरी से 4 दिसंबर 2020 तक खुले बाजार परिचालन (ओएमओ/ OMO) खरीद के माध्यम से 2.7 लाख करोड़ रुपयों से अधिक की नकदी की व्यवस्था करना।
- ii. वर्तमान वित्त वर्ष में विशेष मामले के रूप में राज्य विकास ऋणों (एसडीएल/SDL) में ओएमओ (OMO) को भी शामिल किया गया। ओएमओ (OMO) को एसडीएल (SDL) के बास्केट के रूप में लाया गया था जिसमें राज्यों द्वारा जारी प्रतिभूतियां थीं। इस सुविधा के तहत तीन ओएमओ (OMO) खरीद नीलामियों (22 अक्टूबर 2020 और 5 नवंबर 2020 तथा 23 दिसंबर 2020) के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपयों की कुल नकदी की व्यवस्था की गई थी।
- iii. फरवरी से मार्च 2020 में आयोजित दीर्घावधि रेपो परिचालन (LTRO) के माध्यम से 1.25 लाख करोड़ रुपयों की व्यवस्था के अलावा तीन साल तक के लिए, कॉरपोरेट बॉन्डों, वाणिज्यिक पत्रों और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश हेतु 1.13 लाख करोड़ रुपयों तक के कुल निवेश हेतु लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (TLTRO)।
- iv. बैंकों के सीआरआर आवश्यकता में शुद्ध मांग एवं समय देनदारियां (एनडीटीएल) को 4 प्रतिशत से कम कर 3 किया गया, यह 28 मार्च 2020 से प्रभावी हुआ, इससे बैंकिंग प्रणाली की प्राथमिक चल निधि में करीब 1.37 लाख करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई।
- v. बैंकों का वैधानिक नकदी अनुपात (एसएलआर) को एनडीटीएल के 3 प्रतिशत से कम कर 2 प्रतिशत कर बैंकों द्वारा रातोंरात उधार लेने की सीमा को एमएसएफ के तहत बढ़ाया गया और बैंकिंग प्रणाली को 1.37 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त तरलता प्राप्त करने की सुविधा दी।
- vi. 50,000 करोड़ रु. के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष नकदी सुविधा; और
- vii. सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों जैसे नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक के लिए 75,000 करोड़ रु. मूल्य की पुनर्वित्त सुविधा।

4.11 वर्ष 2020 की शुरुआत में ही जोखिम से बचाने और सुरक्षा के लिए बिकवाली को देखते हुए, आरबीआई ने 16 मार्च और 23 मार्च 2020 को 6-माह के अमेरिकी डॉलर/ भारतीय मुद्रा बिक्री/ खरीद अदला-बदली की दो नीलामी कराई और 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नकदी की व्यवस्था की ताकि विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। उपर सूचीबद्ध उपायों के साथ विदेशी मुद्रा खरीद ने अतिरिक्त नकदी का विस्तार किया, और यह तरलता समायोजन सुविधा (एलएफ/ LAF) के तहत औसत दैनिक शुद्ध तरलता अवशोषण में दिखाई भी देती है, जो जनवरी 2020 के आखिर में 3.43 लाख करोड़ रु. से बढ़ कर 15 जनवरी, 2021 को 5.47 लाख करोड़ रु. हो गया (चित्र 5)।

चित्र 5. चल निधि प्रबंधन



स्रोत: आरबीआई


टिप्पणी: नकारात्मक संकेत तरलता में अधिशेष को दर्शाता है।

4.12 अप्रैल-मई 2020 के दौरान सरकार के बढ़े हुए खर्चों को भी नकदी अधिशेष में जोड़ा गया। हालांकि, सरकार का नकदी शेष जून 2020 में अधिशेष में बदल गया। 2020 की दूसरी तिमाही में सीआईसी विस्तार मध्यम रहा और सरकार का नकदी शेष अधिशेष बना रहा। हालांकि, 2020 की दूसरी तिमाही में अधिशेष नकदी की स्थिति बनी रही, लेकिन पहली तिमाही की तुलना में संतुलन था। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण जुलाई 2020 में कम हो कर 3.95 लाख करोड़ रु. हो गया क्योंकि औसत सरकारी नकदी अधिशेष बढ़कर 95,942 करोड़ रु. हो गया था। इसके बाद, अगस्त 2020 में औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण बढ़ा और यह 4.03 लाख करोड़ रु. हो गया, जो सितंबर 2020 में एक बार फिर कम हो कर 3.68 लाख करोड़ रु. रह गया। बैंकों को समय-सीमा पूर्ण होने से पहले ही एलटीआरओ (LTRO) सुविधा के तहत लिए गए धन को वापस करने के विकल्प के तहत 1.24 लाख करोड़ रु. आए और संतुलन में बैंकिंग क्षेत्र की तरलता ने योगदान किया। हालांकि तरलता अवशोषण में संतुलन के बाद आने वाले महीनों में स्थिति विपरीत हो गई क्योंकि एलएएफ (LAF) के तहत औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण में एक बार फिर वृद्धि हुई और यह 4.47 लाख करोड़ रु. हो गया। अक्टूबर और नवंबर 2020 के महीनों में यह 5.64 लाख करोड़ रु. था। यह सरकारी खरीद को फिर से शुरू करने को आंशिक रूप से प्रतिबिंबित करता है।

4.13 टेनरों में तरलता के अधिक एक समान रूप में वितरण के माध्यम से बेहतर मौद्रिक संरचन सुनिश्चित करने के लिए एक ही समय पर, 14 बिक्री-खरीद ओएमओ, प्रत्येक की अधिसूचित राशि 10,000 करोड़ रुपए, निलामी की घोषणा की गई और यह नीलामी वित्त वर्ष 2020-21 में की गई।

4.14 इसके अलावा, अवधि के दौरान भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर/ WACR) में तरलता की सहज स्थिति परिलक्षित हुई। सामान्य रूप से डब्ल्यूएसीआर (WACR) पॉलिसी कॉरिडोर (नीति गलियारे) में बना रहा हालांकि इसमें स्पष्ट कमी के साथ कारोबार हुआ, जिससे पर्याप्त तरलता और सहज वित्तीय स्थितियों का पता चलता है (चित्र 6)। हालांकि प्रणाली में उपलब्ध तरलता (नकदी) ने अक्टूबर के आखिर से जनवरी की शुरुआत तक कॉरिडोर के बाहर डब्ल्यूएसीआर/ WACR को कम किया। अल्प और दीर्घ तरलता के बीच का अंतर यील्ड कर्व पर दिख रहा है (इस पर अगले भाग में चर्चा की गई है)।

चित्र 6: पॉलिसी कॉरिडोर और डब्ल्यूएसीआर



स्रोत: आरबीआई

जी-सेक (सरकारी क्षेत्र) के बाजारों में विकास

4.15 2020-21 की पहली छमाही के दौरान, 10-वर्ष के बेंचमार्क वाले जी-सेक यील्ड में कारोबार मंदा रहा (चित्र 7), नीति दरों, कच्चे तेल की कीमतों और अधिशेष नकदी पर नजर रखी गई। 10-वर्ष के बेंचमार्क वाले जी-सेक यील्ड जो अप्रैल 2020 में करीब 6.4-6.5 प्रतिशत थे, मई 2020 के मध्य तक 5.73 प्रतिशत के स्तर पर आ गए।

चित्र 7: भारत 10-वर्ष के बेंचमार्क वाले जी-सेक यील्ड




स्रोत: ब्लूमबर्ग

4.16 2020-21 की पहली तिमाही में, जी-सेक के दस वर्षीय उत्पादन के न्यूनतम मानदंड में गिरावट देखी गई। अप्रैल 2020 के पहले पखवाड़े के दौरान यील्ड में मजबूती आई, यह देश भर में लगाए गए लॉकडाउन और बाजार के काम करने के घंटों में कमी के कारण कारोबार की मात्रा में हुई कमी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) द्वारा बिक्री दबाव के साथ अमेरिकी राजकोषीय यील्ड्स के अधिक होने के कारण हुआ। हालांकि माह के दूसरे पखवाड़े में यील्ड में नरमी आई, जो कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (एफओएमसी/ FOMC) द्वारा फेड फंड दरों के लक्षित रेंज को 0-0.25 प्रतिशत पर बनाए रखने और फरवरी 2020 की तुलना में मार्च 2020 के लिए सीपीआई (CPI) रिंडिंग को कम रखने के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। 10-वर्ष बेंचमार्क प्रतिभूति पर यील्ड 3 अप्रैल 2020 को 6.20 प्रतिशत पर खुले और 30 जून 2020 को 5.89 प्रतिशत पर बंद हुए।

4.17 यील्ड में वृद्धि जारी रही, जुलाई 2020 के लिए अपेक्षित सीपीआई प्रिंट की तुलना में अधिक स्तर पर रही और एमपीसी द्वारा दरों में कटौती से इसमें रूकावट आई। इसके बाद, रिजर्व बैंक द्वारा विशेष ओएमओ और प्रत्यक्ष ओएमओ की श्रृंखला लाए जाने के बाद बेंचमार्क यील्ड में थोड़ा सुधार हुआ। इसके अलावा, एसडीएल में ओएमओ, ओएमओ राशि में 20,000 करोड़ रु. की वृद्धि और 31 मार्च 2022 यानि एक और वर्ष के लिए एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए हेल्ड-टू-मेच्युरिटी लाभ के विस्तार ने बॉन्ड बाजार को मदद दी। इसके बाद, नए 10-वर्ष बेंचमार्क यील्ड तीन महीने के सबसे नीचले स्तर पर आ गया और 26 अक्टूबर 2020 को यह 5.79 प्रतिशत था। हालांकि, यील्ड ऑन बेंचमार्क बॉन्ड में एक बार फिर उछाल आया और 20 जनवरी, 2021 को यह 5.92 रहा।

4.18 दूसरी तरफ, 2020-21 में अब तक अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों के यील्ड पर जबरदस्त कमी आई है (चित्र 8)। इसे यील्ड कर्व के आकार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसमें कर्व के अंतिम सिरे पर अंतर अधिक है। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष के सरकारी बॉन्डों पर यील्ड को मार्च 2020 से 23 दिसंबर 2020 के बीच क्रमशः: 195 बीपीएस, 180 बीपीएस और 150 बीपीएस, 120 बीपीएस और 76 बीपीएस से कम किया गया था। यील्ड कर्व में सुधार लाने के लिए आरबीआई ने कई उपाय किए जिसमें पिछले वर्ष एक साथ बिक्री-खरीद ओएमओ नीलामी का कई बार किया जाना भी शामिल है।

चित्र 8: भारत सरकार के बॉन्ड का यील्ड कर्व



स्रोत: ब्लूमबर्ग

4.19 वर्ष 2020-21 में, 1 अप्रैल 2020 से घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ विशेष श्रेणियों को बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी प्रतिभूतियों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया था। तदनुसार, एक अलग मार्ग जैसे, भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर/ FAR) को अधिसूचित किया गया। एक बार ‘निर्दिष्ट प्रतिभूति’ घोषित किए जाने के बाद, ऐसी प्रतिभूतियां समय-सीमा पूरी होने तक एफएआर के तहत निवेश के योग्य रहेंगी। 1 अप्रैल 2020 से वर्तमान प्रतिभूतियों की सूची को एफएआर में रखा गया था और इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 से 5-वर्ष, 10-वर्ष और 30-वर्ष की अवधि के जारी की जाने वाली सभी नई सरकारी प्रतिभूतियां एफएआर के तहत ‘निर्दिष्ट प्रतिभूतियां’ की पात्र होंगी। वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारत को शामिल करने की दिशा में इस कदम को उठाया जाना आवश्यक है।

बैंकिंग क्षेत्र

4.20 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए/ GNPA) अनुपात (यानि सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए) में कमी आई और यह मार्च 2020 के आखिर में 8.2 प्रतिशत के मुकाबले सितंबर 2020 के आखिर में 7.5 रह गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी/ SCBs) का पुनर्गठित मानक अग्रिम (आरएसए/ RSA) अनुपात इसी अवधि के दौरान 0.36 प्रतिशत से बढ़ कर 0.41 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर, एससीबी के स्ट्रेस्ड एडवांसेस अनुपात में गिरावट दर्ज की गई और मार्च 2020 के आखिर में जहां से 8.6 प्रतिशत था वहीं सितंबर 2020 के आखिर में 7.9 प्रतिशत रह गया।

4.21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 के आखिर में 10.25 प्रतिशत था जो सितंबर 2020 के आखिर में कम हो कर 9.4 प्रतिशत रह गया और स्ट्रेस्ड एडवांसेस रेश्यो मार्च 2020 के आखिर के 10.75 प्रतिशत के मुकाबले सितंबर 2020 के आखिर में 9.96 प्रतिशत रह गया। इस अवधि के दौरान, शुद्ध एनपीए रेश्यो में भी कमी दर्ज की गई और यह सितंबर 2020 के आखिर में एससीबी के लिए 2.1 प्रतिशत और पीएसबी के लिए 2.85 प्रतिशत पर रही।

4.22 सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र के बैंकों के पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (Capital to risk-weighted asset ratio, सीआरएआर/ CRAR) में सुधार के कारण मार्च 2020 और एससीबी के पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि हुई और सितंबर 2020 के दौरान यह 14.7 से बढ़ कर 15.8 प्रतिशत हो गई। एससीबी की वार्षिक निवेश पर आय (आरओए/ RoA) में 2020-21 की पहली छमाही (एच 1) के दौरान थोड़ा सुधार हुआ और यह 0.07 प्रतिशत से 0.64 प्रतिशत हो गया, हालांकि उनका इक्विटी पर आय (आरओई/ RoE) में भी सुधार हुआ और इसी अवधि के दौरान यह 0.78 प्रतिशत से 7.68 प्रतिशत हो गया। मुख्य रूप से कोविड-19 राहत उपायों के तहत दी गई छूट के कारण मार्च 2016 से मार्च 2020 तक नकारात्मक लाभप्रदता अनुपात दर्ज करने के बाद, पीएसबी के लिए आरओए (RoA) और आरओई (RoE) जून 2020 में सकारात्मक बनी और सितंबर 2020 में समाप्त हुई तिमाही तक सकारात्मक बनी रही। (तालिका 3) यह मुख्यतः उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए अधिस्थगन तथा परिसंपत्ति वर्गीकरण पर लगाई गई रोक के कारण हुआ है।

तालिका 3: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के एनपीए, सीआरएआर आर ओ ई, आर ओ ए (राशि करोड़ रुपए में : दर तथा अनुपात प्रतिशत में)

Reporting Date	Public Sector Banks				Private Sector Banks			
	Gross NPAs	Capital Ratio (CRAR)	Return on Equity	Return on Total Assets	Gross NPAs	Capital Ratio (CRAR)	Return on Equity	Return on Total Assets
Mar-17	6,84,732	12.14	-1.92	-0.12	91,915	15.53	11.79	1.27
Mar-18	8,95,601	11.66	-14.01	-0.87	1,25,863	16.43	9.98	1.09
Mar-19	7,39,541	12.20	-10.97	-0.66	1,80,872	16.07	5.49	0.60
Mar-20	6,78,317	12.85	-3.92	-0.25	2,05,848	16.55	3.20	0.35
Sep-20	6,09,129	13.51	4.33	0.26	1,88,191	18.21	10.04	1.10

स्रोत: ऑफ साइट रिटर्न एवं ग्लोबल ऑपरेशन्स: आर बी आई

4.23 मार्च 2020 के आखिर में पीएसबी के शुद्ध लाभ (कर अदायगी के बाद के लाभ) में वृद्धि हुई और यह सितंबर 2020 के आखिर में (-) 25,941 करोड़ रुपयों से बढ़कर 14,688 करोड़ रु. हो गया। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ (कर अदायगी के बाद) भी बढ़ा और यह मार्च 2020 के आखिर के 19,113 करोड़ रु. से बढ़कर सितंबर 2020 के आखिर में 32,762 करोड़ रु. हो गया। कुल मिलाकर, एससीबी के लिए, शुद्ध लाभ (कर अदायगी के बाद) में इजाफा हुआ और यह मार्च 2020 के आखिर के 11,322 करोड़ रु. के मुकाबले सितंबर 2020 के आखिर में 59,426 करोड़ रु. हो गया।

4.24 कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण दबावयुक्त संपत्तियां (स्ट्रेस्ड असेस्ट्स) के समाधान पर ध्यान नहीं दिया गया। दिवाला और शोधन अक्षमता सहिता, 2016 की धारा 7, 9 और 10 के तहत सरकार ने 25 मार्च 2020 से 25 मार्च 2021 को या उसके बाद से सामने आने वाले डिफॉल्ट मामलों पर 25 दिसंबर 2020 तक नई दिवाला प्रक्रियाओं को शुरू करने पर रोक लगा दिया था। रिजर्व बैंक ने 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक ऋण स्थगन, परिसंपत्ति वर्गीकरण व्यवस्था और कोविड-19 से संबंधित दबावयुक्त संपत्तियों के लिए विशेष समाधान रूपरेखा की घोषणा की। जिन उधारकर्ताओं को ऋण स्थगन की सुविधा दी गई थी, उनके लिए, जिस अवधि के लिए ऐसी सुविधाएं दी गई थीं, उस अवधि को, संपत्ति वर्गीकरण या अनियमित स्थिति, जैसा मामला हो, के उद्देश्य हेतु बीत चुके देय दिनों की गणना में से निकाल दिए जाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान रूपरेखा की घोषणा की ताकि स्वामित्व में बिना कोई परिवर्तन किए योग्य कॉर्पोरेट ऋण जोखिम के संदर्भ में समाधान योजना को लागू करने में उधारदाता सक्षम हो सकें, और व्यक्तिगत ऋण (पर्सनल लोन), मानक के रूप में ऐसे ऋण जोखिमों का वर्गीकरण करते समय कुछ शर्तों के अधीन रखे गए। उपरोक्त विंडो के तहत लागू की जा सकने वाली समाधान योजनाओं के तहत उधारदाताओं को अतिरिक्त दो वर्षों की मोहलत देने की अनुमति है। आरबीआई ने समाधान योजनाओं में शामिल किए जाने वाले आवश्यक वित्तीय मानदंडों पर अनुशंसा करने के लिए के.वी. कामथ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इसके अलावा, 1 मार्च 2020 तक जहाँ बैंकों और एनबीएफसी का कुल ऋण जोखिम 25 करोड़ रु. या उससे कम हो वहाँ एमएसएमई खातों को मानक (स्टैंडर्ड) माना गया, और उन्हें संपत्ति वर्गीकरण में किसी भी प्रकार की कमी किए बिना पुनर्गठन की अनुमति दी गई, इसे कुछ शर्तों के अधीन रखा गया। विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर 2020 को कुछ विशेष आदेश जारी किए जिसमें कहा कि, “31.08.2020 तक एनपीए घोषित नहीं किए गए खातों को अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा।”

4.25 उपरोक्त उपाय, जो उधारकर्ताओं को परिसंपत्ति वर्गीकरण राहत प्रदान करते हैं, उधारकर्ता के खातों पर वित्तीय दबाव की वास्तविक मान्यता को प्रभावित करेगा। हालांकि, माहामारी के मद्देनजर वित्तीय स्थिरता का बड़ा उद्देश्य बुद्धिमत्तापूर्ण धैर्य की मांग करता है जिसे उपरोक्त राहत पैकेज में स्पष्ट सीमाओं और दंडात्मक कार्यवाही के माध्यम से पूरा किया गया था। इसके अलावा, जोखिम मान्यता को पूरी तरह से निलंबित नहीं किया गया क्योंकि उधारदाताओं को उपरोक्त राहत पैकेज के तहत संपत्ति वर्गीकरण का लाभ लेने वाले खातों के संबंध में न्यूनतम 10 प्रतिशत का प्रावधान करना आवश्यक है।

मौद्रिक नीति संचरण

4.26 क्रेडिट (जमा धन) की मात्रा पर नीति रेपो दरों में परिवर्तनों का संचरण कमज़ोर रहा है। हालांकि, दर संरचना (रेट स्ट्रक्चर) और सावधि संरचना (टर्म स्ट्रक्चर) पर संचरण में सुधार हुआ है। फरवरी 2019 (वर्तमान ईंजिंग साइकिल) से अब तक आरबीआई रेपो दरों में 250 बेसिक प्वाइंट्स की कमी कर चुका है।

(क) दर संरचना (रेट स्ट्रक्चर)

4.27 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमा और उधार दरों के लिए मार्च 2020 के बाद से नीतिगत रेपो दरों में सुधार हुआ है जो नीतिगत दरों में कमी, समायोजित नीति के साथ बड़ी मात्रा में नगदी अधिशेष और ऋणों के लिए बाहरी बेंचमार्क आधारित मूल्य निर्धारण के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। और नकदी की सुविधापूर्ण स्थितियों के कारण फ्रेश रूपया ऋण (ऋणों) पर भारित औसत उधार दर (वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट/ डब्ल्यूएलआर/WALR) मार्च 2020 और अक्टूबर 2020 के दौरान 94 बेसिक प्वाइंट्स की तुलना में नीतिगत रेपो दरों में 115 बेसिक प्वाइंट्स कमी आई। सहजता के वर्तमान चरण में (फरवरी 2019 से नवंबर 2020), आउटस्टैंडिंग रुपी लोन्स (बकाया रुपये ऋण) पर डब्ल्यूएलआर में बदलाव ने मार्च 2020 से महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। फरवरी 2019 से नवंबर 2020 की अवधि के दौरान आउटस्टैंडिंग रुपी लोन्स (बकाया रुपये ऋण) पर डब्ल्यूएलआर में 83 बेसिक प्वाइंट्स की कमी में से 67 बेसिक प्वाइंट्स की कमी मार्च 2020 से दर्ज की गई थी। जारी राहत अवधि के दौरान आउटस्टैंडिंग रुपया लोन्स (बकाया रुपये ऋण) पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर/WADTDR) में 127 बेसिक प्वाइंट्स की कमी आई। मध्यम सावधि जमा दर में मार्च से दिसंबर 2020 के दौरान 146 बेसिक प्वाइंट्स की भारी गिरावट दर्ज की गई (तालिका 4)। ऋण वृद्धि (क्रेडिट स्प्रेड) (आउटस्टैंडिंग ऋणों पर डब्ल्यूएलआर और रेपो दरों का अंतर) जो 2018 से लगातार बढ़ रहा था, में, 2020-21 में कमी आनी शुरू हुई हालांकि यह अभी भी बहुत अधिक है। आउटस्टैंडिंग ऋणों पर डब्ल्यूएलआर अभी भी रेपो दर के मुकाबले 544 बेसिक प्वाइंट अधिक है (चित्र 9)।

तालिका 4: बैंक जमा और उधार दरों के लिए रेपो दरों में परिवर्तन (बेसिक प्वाइंट्स)


अवधि	रेपो दर	सावधि जमा दर		उधार दर		
		मेडियन टर्म डिपॉजिट रेट	डब्ल्यूएडी.टीडीआर/ WADTDR	1 वर्ष का मेडियन एम्सीएलआर/ MCLR	डब्ल्यूएलआर/ WALR - आउटस्टैंडिंग रुपी लोन	डब्ल्यूएलआर/ WALR - फ्रेश रुपी लोन
फरवरी 19-सितंबर 19	-110	-9	-7	-30	2	-40
अक्टूबर 19-नवंबर 20'	-140	-167	-118	-115	-77	-119
मार्च 20-नवंबर 20'	-115	-143	-79	-90	-59	-88
फरवरी 19-नवंबर 20'	-250	-207	-125	-145	-75	-159

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: डब्ल्यूएलआर: भारित औसत उधार दर-डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर; एम्सीएलआर: मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड-बेस्ड लॉंडिंग रेट।

* डब्ल्यूएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर नवीनतम आंकड़े नवंबर 2020 के हैं।

चित्र 9: रेपो दरों और डब्ल्यूएलआर (आउटस्टैंडिंग लोन्स पर) के बीच प्रसार



स्रोत: आरबीआई

4.28 बैंक समूहों में निजि क्षेत्र के बैंकों ने नए ऋणों को बांटने में बेहतर प्रदर्शन किया है जबकि सरकारी बैंकों की समग्र रियायत अवधि के दौरान आरबीआई द्वारा सहजता चक्र के शुरुआती चरण में, निजि क्षेत्र के बैंकों की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में नए ऋणों और जमाओं पर उधार दरों में अधिक कमी के संदर्भ दर कम थी। हालांकि, समय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी सुधार होना शुरू हुआ और उन्होंने वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक निजि क्षेत्र की बैंकों की तुलना में आउटस्टैंडिंग रुपी लोन्स और नए रुपी लोन्स पर डब्ल्यूएलआर के संदर्भ में अधिकता दिखाई है। हालांकि, निजि क्षेत्र के बैंकों ने 2020-21 में अब तक डब्ल्यूएडीटीडीआर में अधिकता दिखाई है (तालिका 5) काया ऋण की वसूली में अधिक रुझान दिखा है। निजि क्षेत्र के बैंकों ने सरकारी बैंकों की तुलना में जमा दरों में अधिक कमी की है (डब्ल्यूएडीटीडीआर द्वारा मापा गया)।

तालिका 5: सहजता चक्र के दौरान बैंक समूहों के बीच संचरण (बेसिक प्वाइंट्स)

	फरवरी 2019 से अक्टूबर 2020			अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020		
	डब्ल्यूएलआर/ WALR-आउट स्टैंडिंग लोन	डब्ल्यूएलआर/ WALR - नए लोन	डब्ल्यूएडी. टीडीआर/ WADTDR	डब्ल्यूएलआर/ WALR-आउट स्टैंडिंग लोन	डब्ल्यूएलआर/ WALR - नए लोन	डब्ल्यूएडी. टीडीआर/ WADTDR
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	-83	-149	-107	-48	-66	-65
निजि क्षेत्र के बैंक	-56	-167	-145	-45	-27	-75
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकरु	-75	-159	-125	-48	-44	-72

स्रोत: आरबीआई


टिप्पणी: #: इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजि क्षेत्र और विदेशी बैंक आते हैं।

4.29 सावधि जमा दरों में कमी के अलावा कई बैंकों ने वर्तमान सहजता चक्र के दौरान अपने बचत जमा दरों को भी कम कर दिया। पांच प्रमुख बैंकों की बचत जमा दरें, जो बाहरी मानदंड को लागू किए जाने (सितंबर 2019 के आखिर में) से पहले 3.25-3.5 प्रतिशत की रेंज में थे, 15 जनवरी 2021 में 2.7-3.0 प्रतिशत के बीच रहे। बचत जमा दरों का लचीला समायोजन उधार दरों के मौद्रिक संचरण हेतु अच्छा रहा।

(ख) ऋण वृद्धि

4.30 संचयी रूप से, फरवरी 2019 के बाद से, नीतिगत दरों में 250 बेसिक प्वाइंट्स की कमी की गई, फिर भी तब से ऋण वृद्धि में कमी ही आई है। फरवरी 2019 में ऋण वृद्धि (साल-दर-साल/YoY) 14.8 प्रतिशत थी और 18 दिसंबर 2020 को यह कम हो कर 6.1 प्रतिशत रह गई (चित्र 10)। एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान यह 7.1 प्रतिशत था।

चित्र 10: बैंक ऋण में वृद्धि (साल-दर-साल) (प्रतिशत में)




स्रोत: आरबीआई

4.31 अक्टूबर 2019 में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अक्टूबर 2020 में गैर-खाद्य ऋण वृद्धि (साल-दर-साल/YoY) नवंबर 2020 में 6 प्रतिशत थी (केवल नवंबर तक का विवरण उपलब्ध है)। 2020-21 में लगभग सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि में संतुलन देखा गया, सेवा क्षेत्र को छोड़ कर (चित्र 11)। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वृद्धि 2019-20 की पहली तिमाही में कम हुई लेकिन सितंबर और अक्टूबर में जबरदस्त तेजी के साथ नवंबर 2020 में यह बढ़ कर 8.5 प्रतिशत हो गई (चित्र 11)। उद्योग जगत में ऋण वृद्धि में लगातार कमी हुई और वास्तव में अक्टूबर 2020 में इसमें 1.7 और नवंबर 2020 में 0.7 प्रतिशत की कमी आई। सेवा क्षेत्र ने गिरावरट की इस परंपरा को तोड़ा और अक्टूबर 2020 में जहां इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि 9.5 प्रतिशत पर थी वह नवंबर 2020 में बढ़ कर 8.8 प्रतिशत हो गई। इस क्षेत्र में, 'कारोबार' के लिए ऋण में दो अंकों में वृद्धि दर्ज की गई और नवंबर 2020 में यह 14.7 प्रतिशत पर रही, एक वर्ष पूर्व इसी अवधि के दौरान यह 4.6 प्रतिशत थी। हालांकि, सेवा क्षेत्र में, 2020-21 में 'व्यावसायिक अचल संपत्ति' और 'एनबीएफसी' के लिए ऋण वृद्धि में कमी आई। पर्सनल लोन वृद्धि में भी कमी आई और यह नवंबर 2019 के 16.4 प्रतिशत के मुकाबला नवंबर 2020 में 10 प्रतिशत रहा। पर्सनल लोन खंड में, दो मुख्य घटक होते

हैं। वाहन ऋण और आवास ऋण। हालांकि वाहन ऋण वृद्धि में वृद्धि हुई और यह अक्टूबर 2020 में 10 प्रतिशत पर पहुंच गया, एक वर्ष पूर्व इसी अवधि के दौरान यह 4.7 प्रतिशत था, लेकिन आवास ऋण वृद्धि में कमी आई और यह नवंबर 2020 में कम हो कर 8.5 प्रतिशत रह गया, एक वर्ष पूर्व इसी अवधि के लिए यह 18.3 प्रतिशत था (तालिका 6)।

चित्र 11: सेक्टोरल बैंक के ऋण में वृद्धि (साल-दर-साल/YoY)



स्रोत: आरबीआई

तालिका 6: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा उद्योग-वार बैंक ऋण में वृद्धि देना (साल-दर-साल, प्रतिशत)

क्षेत्र	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20	अक्टू-19	अक्टू-20
उद्योग	-1.9	0.7	6.9	0.7	3.4	-1.7
लघु और सूक्ष्म	-0.5	0.9	0.7	1.7	-1.4	0.7
मध्यम	-8.7	-1.1	2.6	-0.7	1.2	16.7
बड़े	-1.7	0.8	8.2	0.6	4.2	-2.9
सेवा	16.9	13.8	17.8	7.4	6.5	9.5
व्यापार	12.3	9.1	13.1	4.6	5.2	14.0
व्यावसायिक अचल संपत्ति	4.5	0.1	8.9	13.6	17.9	3.5
एनबीएफसी	10.9	26.9	29.2	25.9	26.8	9.2
पर्सनल लोन	16.4	17.8	16.4	15.0	17.2	9.3
आवास	15.2	13.3	19.0	15.4	19.4	8.2
वाहन ऋण	11.5	11.3	6.5	9.1	5.0	8.4

स्रोत: आरबीआई


टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं। उन चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 90 प्रतिशत को कवर करते हैं;

(ग) सावधि संरचना (टर्म स्ट्रक्चर)

4.32 नीतिगत दरों में कमी और अधिशेष तरलता ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों ही दरों को कम करने में मदद की। हालांकि, दीर्घकालिक ब्याज दरों पर प्रभाव बहुत कम रहा। इस वित्त वर्ष की शुरुआत से ही, 364 दिन के टी-बिल (T-bill) पर ब्याज 10(दस) वर्षों के सरकारी क्षेत्र (G-Secs) की तुलना

में बहुत अधिक कम हो गया। अप्रैल 2020 से 7 दिसंबर 2020 तक यील्ड में 157 बेसिक प्वाइंट्स की कमी हुई जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले वित्त वर्ष में 10(दस) वर्षों के सरकारी क्षेत्र (G-Secs) के यील्ड में केवल 24 बेसिक प्वाइंट्स की गिरावट हुई थी (चित्र 12)। इस वर्ष दो यील्ड्स के बीच का अंतर बढ़ा है।


चित्र 12: भारत में सरकारी बॉन्ड यील्ड (प्रतिशत)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

4.33 कम नीतिगत दरों कॉरपोरेट बॉन्ड तक पहुँची जहां यील्ड मार्च 2020 से बहुत कम हो गया था (चित्र 13 (क) और चित्र 13 (ख))। एए और एए रेट किए गए सभी बॉन्ड के लिए दरों में कमी आई। जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष वाले एए कॉरपोरेट बॉन्ड पर यील्ड में क्रमशः


चित्र 13 (क): एए रेट वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के यील्ड



स्रोत: सीएमआई

238 बेसिक प्वाइंट्स, 237 बेसिक प्वाइंट्स, 155 बेसिक प्वाइंट्स, 112 बेसिक प्वाइंट्स की गिरावट हुई है। यदि पूरी ईंजिंग साइकिल (2020 के आरंभ से) में गिरावट पर विचार किया जाए तो इसमें क्रमशः 430 बीपीएस, 326 बीपीए, 271 बीपीएस और 212 बीपीएस की गिरावट पाई गई।

चित्र 13 (ख): एए रेट वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के यील्ड



स्रोत: सीएमआई

बॉक्स 1: बैंकिंग क्षेत्र में नियामक उपाय

वाणिज्यिक बैंक

क. पीएसबी का विलय: एंकर बैंक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के साथ अन्य 10 पीएसबी का एकीकरण, यह 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया है।

ख. एमएसएमई ऋणों का पुनर्गठन: एमएसएमई के ऐसे ऋण जो डिफॉल्ट थे लेकिन 1 जनवरी, 2019 को 'मानक/स्टैंडर्ड' थे, को, कुछ शर्तों के तहत संपत्ति वर्गीकरण के दर्जे में कमी किए बिना, एक बार पुनर्गठन की अनुमति थी, जैसे 1 जनवरी, 2019 तक उधारकर्ताओं पर बैंकों और एनबीएफसी का कुल जोखिम (गैर-निधि आधरित सुविधाओं समेत) 25 करोड़ रुपयों से अधिक न हो। उधार लेने वाली संस्था को जीएसटी पंजीकृत होना चाहिए। हालांकि, यह शर्त उन एमएसएमई पर लागू नहीं होगा जिन्हें जीएसटी-पंजीकरण से छूट दी गई है। कोविड-19 के कारण होने वाली गिरावट को देखते हुए व्यवहार्य एमएसएमई इकाईयों को सहयोग प्रदान करने के लिए 1 जनवरी 2019 की कट-ऑफ तिथि को 1 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया था। बैंकों को 31 मार्च 2021 तक पुनर्गठन लागू करना होगा।

ग. लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क: संबंधित प्रतिपक्षों के समूह के लिए लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत बैंक के एक्सपोजर में वृद्धि की गई और इसे बैंक के ग्राह्य पूँजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया। बढ़ाई गई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।

घ. निर्यात ऋण: 31 जुलाई 2020 तक किए जाने वाले संवितरण हेतु बैंकों द्वारा स्वीकृत प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋण हेतु अधिकतम स्वीकार्य सीमा में एक वर्ष से लेकर 15 महीने तक की वृद्धि की गई थी। यह वृद्धि भारत के निर्यात आय की प्राप्ति और प्रत्यवर्तन की अवधि में दी गई छूट के अनुसार की गई थी।

ड. मौद्रिक नीति परिसंचरण-ऋणों के बाहरी मानदंड निर्धारित करना: आरबीआई ने एससीबी (आरआरबी को छोड़ कर) द्वारा लिए गए अग्रिमों पर ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त कर दिया। हालांकि बैंकों को निर्धारित या फ्लोटिंग ब्याज दरों पर सभी श्रेणियों के अग्रिम देने की सुविधा दी गई, नियमों के अनुसार ऐसी दरों को उचित और पारदर्शी होना चाहिए और इन्हें आंतरिक या बाह्य मानदंड दरों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति के परिसंचरण को मजबूत बनाने के लिए बैंकों के लिए सभी नए फ्लोटिंग रेट वाले पर्सनल या रीटेल ऋणों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था और एमएसएमई को भी फ्लोटिंग रेट ऋण बाहरी मानदंडों जैसे रेपो रेट, ट्रेजरी बिल रेट और फाइनेंशल बैंचमार्क इडिया प्रा. लिमि (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित किसी भी दूसरे बाहरी मानदंड तक देने की सुविधा दी गई। बैंक इस प्रकार के बाहरी मानदंडों से जुड़े ऋणों को अन्य प्रकार के उधारकर्ताओं को भी दे सकते हैं। पारदर्शिता, मानकीकरण और उधारकर्ताओं द्वारा ऋण उत्पादों का आसानी से समझना सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को एक ऋण श्रेणी में एकसमान बाहरी मानदंड को अपनाने की सलाह दी गई थी। बाहरी मानदंड प्रणाली के तहत, ऋण के लिए ब्याज रीसेट अवधि को भी तीन महीने कम कर दिया गया था। ऐसा करने का उद्देश्य उधारकर्ताओं को नीतिगत रेपो दरों में कमी का अधिक बार लाभ देना था। इसके अलावा, वर्तमान उधारकर्ताओं को बाहरी मानदंड से जुड़े ब्याज दर का लाभ उपलब्ध कराने के लिए (बेस रेट/एमसीएलआर), बैंकों को आपसी सहमति वाली शर्तों पर ऐसे उधारकर्ताओं को स्विचओवर का विकल्प देने की सलाह दी गई थी।

सहकारी बैंक

- क. प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्य में संशोधन:** वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए समग्र ऋण लक्ष्य को एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी/ANBC) या क्रेडिट इक्विवलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईओबीसीई/CEOBSSE), जो भी अधिक हो, को वर्तमान 40 प्रतिशत के स्तर से बढ़ा कर 31 मार्च 2024 तक एएनबीसी या सीईओबीएससी, जो भी अधिक हो, का 75 प्रतिशत कर दिया गया है।
- ख. एमएसएमई के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत सहकारी बैंकों को योग्य सदस्य ऋण दाता संस्था के रूप में समावेश करना-दिशानिर्देश जारी करना:** सभी सहकारी बैंकों को सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए 2018 में बनाई गई “इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (आईएसएस)” के तहत योग्य ऋणदाता संस्था के रूप में शामिल किए जाने की सलाह दी गई है। यह योजना योग्य एमएसएमई को उनके बकाया, नए वृद्धिशील सावधि ऋण/कार्यशील पूँजी पर, उनकी वैधता अवधि के दौरान, ब्याज में प्रति वर्ष दो प्रतिशत की राहत प्रदान करती है।
- ग. सेंट्रल रिपॉर्जिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को बड़े जोखिमों से अवगत कराना:** यूसीबी में ऑफ साइट पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने और वित्तीय संकट का समय से पता लगाने के लिए 500 करोड़ रुपयों और उससे अधिक की संपत्ति वाले यूसीबी को सीआरआईएलसी (CRILC) रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अधीन लाने का फैसला किया गया था। तदनुसार, यूसीबी को क्रेडिट की जानकारी देनी होगी। इसमें यूसीबी किसी खाते को स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) बनाने के साथ-साथ ऐसे सभी उधारकर्ताओं की जानकारी देगा जिनका कुल ऋण जोखिम 5 करोड़ रुपयों या उससे अधिक का है। कुल ऋण जोखिम में उधारकर्ता पर निवेश जोखिम समेत सभी कोष-आधारित और गैर-कोष आधारित जोखिम शामिल किए जाएंगे।
- घ. एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए जोखिम सीमा और बड़े ऋण जोखिम:** यूएसबी के बीच क्रेडिट कान्स्ट्रेशन रिस्क (ऋण संक्रेदण जोखिम) को कम करने के लिए, एकल उधारकर्ता और उधारकर्ताओं के समूह के लिए ऋण जोखिम मानकों में क्रमशः यूसीबी की पूँजीगत निधि का 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत एवं यूसीबी के टीयर-I पूँजी को 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया था। संशोधित ऋण जोखिम सीमाएं यूसीबी द्वारा लिए जाने वाले सभी प्रकार के नए ऋणों पर लागू होगा और 31 मार्च 2023 तक उन्हें संशोधित सीमा से अधिक अपने वर्तमान ऋण जोखिमों को उल्लिखित संशोधित सीमाओं के भीतर लाना होगा। इसके अलावा, यूसीबी के पास उनके कुल ऋणों और अग्रिमों का न्यूनतम 50 प्रतिशत हो, इसमें 25 लाख रुपयों

से कम वाले ऋण या उनके टीयर । पूँजी के 0.2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, रहे, यह प्रति उधारकर्ता अधिकतम 1 करोड़ रुपयों के विषयाधीन है। यूसीबी जो वर्तमान में निर्धारित सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं, को, 31 मार्च 2024 तक इन शर्तों को पूरा करने की सलाह दी गई है।

ड. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पढ़ी जाए) के तहत रिटर्न जमा करना-समय सीमा में विस्तार: कोविड-19 महामारी के जारी रहने के कारण यूसीबी को होने वाली परेशानियों को देखते हुए, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भेजने की समय-सीमा को पहले तीन महीनों के लिए यानि 30 सितंबर 2020 तक, बढ़ाया गया था तथा इसके बाद, समय सीमा को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया।

च. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन: बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020: बैंकिंग विनियमन अधिनियम को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुसार यूसीबी के नियामक शासन में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं-


- रिजर्व बैंक को यूसीबी के प्रबंधन का अधिकार दिया गया जिसकी वजह से अब वह यूसीबी के प्रबंधन संबंधी निर्देश जारी कर सकता है। इसमें चेयरमैन/ एमडी/ सीईओ की नियुक्ति की मंजूरी, एमडी/ सीईओ को हटाने और उनके वेतन की मंजूरी भी शामिल है। इसके अलावा, यूसीबी के बोर्ड में विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान/ व्यवहारिक अनुभव वाले 51 प्रतिशत सदस्य होने ही चाहिए।
- निदेशक-संबंधी ऋणों/ अग्रिमों को अनुमति देने पर वैधानिक प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है और संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंकों में एक ही निदेशक पद रखे जाने पर रोक लगा दी गई है।
- रिजर्व बैंक को यूसीबी के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति/ पद से हटाने को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।
- संशोधित अधिनियम के प्रावधान यूसीबी को इक्विटी/ प्रेफरेंस/ स्पेशल शेयरों और डिबेंचरों/ बॉन्ड्स/ प्रतिभूतियों को जारी कर पूँजी में बढ़ोतरी करने में सक्षम बनाएंगे। ये सभी इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी शर्तों के अधीन होंगे।
- रिजर्व बैंक को यूसीबी के निदेशक मंडल का अधिक्रमण बर्खास्त करने का अधिकार होगा, हालांकि एक ही राज्य में काम करने वाले यूसीबी के मामले में, रिजर्व बैंक अपने इस अधिकार का प्रयोग संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से करेगी।
- रिजर्व बैंक को स्वैच्छिक/ अनिवार्य एकीकरण को मंजूरी देने और केंद्र सरकार की अनुमति के साथ यूसीबी के पुनर्गठन योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है।

संशोधित अधिनियम, रिजर्व बैंक के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा यूसीबी को बंद किए जाने की अनुमति देता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

4.35 एन.बी.एफ.सी. के क्रेडिट ग्रोथ में निरंतर मंदी जारी है। एनबीएफसी सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ (जमा धन में वृद्धि, साल-दर-साल/YoY) जून 2020 में 3 प्रतिशत के आस-पास था। सितंबर 2020 में क्रेडिट ग्रोथ में वर्ष-दर-वर्ष -6.6 प्रतिशत संकुचन हुआ। इस क्षेत्र का क्रेडिट ग्रोथ मार्च 2019 के 23.16 लाख करोड़ रु. से बढ़कर मार्च 2020 में 23.8 लाख करोड़ रु. हो गया जो 2.72 प्रतिशत था लेकिन पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान क्रेडिट ग्रोथ 17.7 प्रतिशत था (चित्र 14)।

चित्र 14: एनबीएफसी के ऋण और अग्रिम में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: आरबीआई


स्रोत: मार्च 2020, जून 2020 तथा सितंबर 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।

4.36 वर्ष 2019-20 में एनबीएफसी¹ में बड़े पैमाने पर मंदी आई, इसकी मुख्य वजह थी कुछ बड़े एनबीएफसी में ऋण की अलग-अलग स्थितियां, धन प्राप्त करने संबंधी चुनौतियां। एनबीएफसी के कुल संपत्ति में वृद्धि हुई और यह मार्च 2018 के 23.41 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2019 में 29.23 लाख करोड़ रुपये हो गया, मार्च 2020 में यह 33.91 लाख करोड़ रुपये तक हो चुका था, इसकी वजह से 2018-19 में 24.86 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 के दौरान इसमें 16.01 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंकों ने अपने ऋण विस्तार के माध्यम से एनबीएफसी को सहयोग देना जारी रखा और अक्टूबर 2020 तक 9.2 प्रतिशत (साल-दर-साल/ YoY) की दर से ऋण उपलब्ध कराया, यह समग्र बैंक क्रेडिट ग्रोथ (ऋण वृद्धि) से अधिक था। इस क्षेत्र को महामारी के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा तरलता लाने के लिए किए गए उपायों से भी लाभ हुआ जिसमें एनबीएफसी क्षेत्र को कवर करने वाले लक्षित दीर्घकालिक सावधि रेपो (टीएलटीआरओ/TLTRO) संचालन भी शामिल थे।

4.37 वर्ष 2019-20 में एनबीएफसी क्षेत्र में निधिकरण (फंडिंग) के स्रोतों में कुछ बदलाव किया गया था। बैंकों का एनबीएफसी पर कुल ऋण जोखिम मार्च 2019 के 7.01 लाख करोड़ रुपयों से बढ़कर मार्च 2020 में 8.04 लाख करोड़ रुपये हो गया था और इसका बढ़ना जारी रहा और जून 2020 में 8.17 लाख करोड़ रुपये हो गया। जून 2020 में एनबीएफसी क्षेत्र के लिए बैंक क्रेडिट 7.05 लाख करोड़ रु. था, जो कुल बैंकिंग क्रेडिट का लगभग 6.6 प्रतिशत है। हालांकि, 2020-21 में भी एनबीएफसी को म्यूचुअल फंड्स के बदले ऋण देने में गिरावट जारी रही। (चित्र 15)

1 यह क्षेत्र जून 2020 अपनी परिसंपत्तियों के आधार पर शीर्ष 250 एन.बी.एफ.सी. दर्शाता है।

चित्र 15: एनबीएफसी को म्यूचुअल फंड त्रहण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: सेबी


4.38 जून 2020 में सुरक्षित और असुरक्षित उधार और सार्वजनिक जमा के रूप में एनबीएफसी की बाहरी देनदारियों में साल-दर-साल (YoY) आधार पर 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए त्रहण में भी बढ़ोतरी हुई और मार्च 2020 में जहां 69,965 करोड़ रु. था वहीं जून 2020 में 1,11,841 करोड़ रुपये हो गया, इस वजह से लगभग 226 प्रतिशत की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, कमर्शियल पेपर (वाणिज्यिक पत्र/ सीपी) में भी वृद्धि हुई और यह मार्च 2020 के 71,734 करोड़ रु. से बढ़कर जून 2020 में 95,439 करोड़ रु. हो गया।

4.39 गैर-परिवर्तनीय त्रहण पत्र (नन- कंवर्टिबल डिबेंचर्स/ एनसीडी) को छोड़ दें तो मार्च 2020 या जून 2019 की तुलना में जून 2020 में एनबीएफसी द्वारा लिए गए सभी प्रकार के त्रहण लागत में मामूली गिरावट आई। एनबीएफसी के धन के मुख्य स्रोत में योगदान करने वाले एनसीडी की लागत में मामूली सुधार हुआ और यह मार्च 2020 के 8.1 प्रतिशत से जून 2020 में 8.2 प्रतिशत हो गया। दूसरी तरफ, सीपी की लागत में कमी आई और इसी अवधि के दौरान यह 7.0 प्रतिशत से कम होकर 5.9 प्रतिशत हो गया।

4.40 15 प्रतिशत विनियामक आवश्यकता के अनुसार, एनबीएफसी क्षेत्र1 के लिए सीआरएआर जून 2020 के आखिर में 22.05 प्रतिशत था, मार्च 2020 के 20.62 प्रतिशत के मुकाबले यह थोड़ा अच्छा था। जून 2020 के आखिर में 6.44 प्रतिशत के जीएनपीए अनुपात के साथ एनबीएफसी की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में थोड़ी कमी आई क्योंकि मार्च 2020 के आखिर में यह 6.30 प्रतिशत और मार्च 2019 के आखिर में यह 5.60 प्रतिशत थी। हालांकि, शुद्ध एनपीए अनुपात में मामूली सुधार हुआ और यह मार्च 2020 के अंत में जहां 3.09 प्रतिशत था वहीं जून 2020 के आखिर में 2.99 प्रतिशत हो गया। एनबीएफसी क्षेत्र के लिए निवेश पर आय (RoA) जून 2019 के 0.6 प्रतिशत की तुलना में जून 2020 में 0.4 प्रतिशत था जबकि इक्विटी पर आय (RoE) जून 2019 के 2.6 प्रतिशत की तुलना में जून 2020 में 1.7 प्रतिशत था।

बॉक्स 2: डिजीटल भुगतान

पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय लेनदेन में अधिक वृद्धि देखी गई है। इस वित्त वर्ष के दौरान दोनों खंडों में एवं सभी श्रेणीयों के डिजीटल भुगतानों के मान में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020-21 में (अक्टूबर तक) यूपीआई के माध्यम से 19.35 लाख करोड़ रुपये और रुपये कॉर्ड से 1.02 लाख करोड़ रुपये का समग्र लेन देन हुआ है।



स्रोत: एनपीसीआई

देश में हो रहे डिजीटल भुगतान के विस्तारित रूप को देखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने समग्र डिजीटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण किया है। आरबीआई-डीपीआई 5 बड़े मापदण्डों पर आधारित है, जो विभिन्न समय अवधियों के दौरान देश में हुए डिजीटल भुगतानों के विस्तार एवं व्यापकता को मापने में सक्षम बनाता है। ये मापदण्ड हैं (i) भुगतान करने वाला (मान 25%), (ii) भुगतान का बुनियादी ढांचा-मांग पक्ष कारक (10%), (iii) भुगतान का बुनियादी ढांचा-आपूर्ति पक्ष कारक (15%), (iv) भुगतान निष्पादन (45%) और (v) उपभोक्ता केंद्रितता (5%)। मार्च 2018 की आधार अवधि के साथ आरबीआई - डीपीआई का निर्माण हुआ है, जो कि मार्च 2018 के लिए डीपीआई स्कोर 100 निर्धारित है। मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए डीपीआई क्रमशः 153.47 और 207.84 निर्धारित है। जो उन वर्षों में अधिक वृद्धि को इंगित करता है। 2 वर्षों के दौरान सूचकांक में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

पूंजी बाजार में प्रगति

1. प्राथमिक बाजार (इक्विटी)

अ. पब्लिक इश्यू

4.41 वर्ष 2020-21² (दिसंबर तक) में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू (सार्वजनिक निर्गम) के माध्यम से संसाधन जुटाने में वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान, हालांकि पब्लिक इश्यू के जरिए पैसा बनाने वाली कंपनियों की संख्या, पिछले वर्ष इसी अवधि में, 49 से घट कर 33 हो गई, फिर भी पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जुटाए गए 10950 करोड़ रुपयों की तुलना में इस अवधि के दौरान 31086.64 करोड़ रुपये जुटाए गए, जो इस अवधि में संसाधन जुटाने में 183.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार, 2020-21 (दिसंबर तक) के दौरान राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधन जुटाना में वृद्धि दर्ज की गई, 16 राइट्स इश्यू से 60906.90 करोड़ रु. जुटाए गए थे जबकि अप्रैल-दिसंबर में 13 इश्यू से 51865.86 करोड़ रु. जुटाए जा सके थे। (तालिका 7)

² 2020-21 के लिए तारीख अनंतिम है।

तालिका 7: पब्लिक और राइट्स इश्यू के माध्यम से प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना

इश्यू के प्रकार	2019-20 (दिसंबर तक)		2020-21 (दिसंबर तक)	
	इश्यू की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)	इश्यू की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)
पब्लिक इश्यू (इक्विटी)	49	10949.99	27	31,086.64
राइट्स इश्यू (इक्विटी)	13	51,865.86	14	60,906.90
कुल पब्लिक इश्यू	62	62,815.85	41	91,993.54

स्रोत: बीएसई, एनएसई और सेबी

ख. प्राइवेट प्लेसमेंट

4.42 वर्ष 2020-21 (दिसंबर तक) में इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए संसाधन में कमी देखी गई हालांकि इश्यू की संख्या में इजाफा हुआ था। अप्रैल-दिसंबर 2020 में, 183 इश्यू थे और प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से 91631.33 करोड़ रु. जुटाए गए हालांकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 229 इश्यू के माध्यम से 179443.86 करोड़ रु. जुटाए गए थे (तालिका 9)।

तालिका 8: प्राइवेट प्लेसमेंट्स के माध्यम से प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना

इश्यू के प्रकार	2019-20 (दिसंबर तक)		2020-21 (दिसंबर तक)	
	इश्यू की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)	इश्यू की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)
क्यूआईपी (QIPs) आवंटन (इक्विटी)	9	34,028.55	21	64,148.50
अधिमान्य आवंटन (इक्विटी)	220	1,45,415.31	162	27,482.83
कुल निजी आवंटन	229	1,79,443.86	183	91,631.33

स्रोत: बीएसई, एनएसई और सेबी

4.43 वर्ष 2019-20 (दिसंबर तक) में क्वालिफायड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए जुटाए गए संसाधन की तुलना में अधिमान आवंटन मार्ग से जुटाए गए संसाधन काफी अधिक थे। हालांकि, अप्रैल-दिसंबर 2020 में इसमें उलटफेर हुआ। इस अवधि के दौरान, 21 क्यूआईपी (QIPs) और 162 अधिमान्य आवंटन किए गए जिससे क्रमशः 64,148.50 करोड़ रु. और 27,482.83 करोड़ रु. जुटाए गए। पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान 9 क्यूआईपी (QIPs) और 220 अधिमान्य आवंटन के जरिए क्रमशः 34,028.55 करोड़ रु. और 145415.3 करोड़ रु. ही जुटाए जा सके थे।

2. प्राथमिक बाजार (ऋण)

4.44 प्राथमिक बाजार में 2020-21 (दिसंबर तक) के दौरान कुल ऋण जारी करने में 29.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 5.99 लाख करोड़ रुपये के ऋण जारी किए गए जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 4.63 लाख करोड़ रुपये का ऋण जारी किया गया था। अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान, प्राइवेट प्लेसमेंट ऋण के माध्यम से जुटाई गई धनराशि में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जुटाए गए धन से 32.2 प्रतिशत अधिक होकर 5.95 लाख करोड़ रुपये हो गया। दूसरी तरफ, इसी अवधि के दौरान, सार्वजनिक ऋण इश्यू के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि में 67 प्रतिशत की कमी आई और 3871.7 करोड़ रु. ही जुटाए जा सके (तालिका 10)।

तालिका 9: ऋण इश्यू के माध्यम से प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना

इश्यू के प्रकार	2019-20 (दिसंबर तक)		2020-21 (दिसंबर तक)	
	इश्यू की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)	इश्यू की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)
पब्लिक इश्यू (ऋण)	27	11,746.11	10	3,871.70
प्राइवेट प्लेसमेंट (ऋण)	1295	4,49,939.71	1540	5,95,044.66
कुल ऋण इश्यू	1322	4,61,685.82	1550	5,98,916.36

स्रोत: बीएसई, एनएसई और सेबी

4.45 अहिंत वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक को पारित कर दिया गया और 1 अक्टूबर 2020 से यह लागू हो गया है। इस विधेयक से पहले, भारत में द्विपक्षीय नेटिंग के लिए कोई कानूनी रूपरेखा नहीं थी। नेटिंग, किसी द्विपक्षीय वित्तीय अनुबंध के दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ दावों की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम बनाता है ताकि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर बकाया एकल शुद्ध देनदारी दायित्व का निर्धारण किया जा सके। वित्तीय बाजारों की स्थिरता का समर्थन करने के अलावा, द्विपक्षीय नेटिंग भारत में कॉरपोरेट ऋण बाजार के विकास और प्रणाली में पूँजी लाने में मदद करेगा।

3. म्यूचुअल फंड गतिविधियां

4.46 2020-21 (दिसंबर तक) के दौरान म्यूचुअल फंड उद्योग में 2.76 लाख करोड़ रु. का शुद्ध प्रवाह था जबकि पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान शुद्ध प्रवाह 1.82 लाख करोड़ रु. का था। सभी म्यूचुअल फंड के प्रबंधन के तहत शुद्ध संपत्ति में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और 31 दिसंबर 2020 के समाप्त होने पर यह 31.02 लाख करोड़ रु. था; जबकि 31 दिसंबर 2019 को यह 26.54 लाख करोड़ रु. ही था। (तालिका 11)

तालिका 10: म्यूचुअल फंड के माध्यम से धन जुटाना (धनराशि लाख करोड़ रु. में)

अवधि	फोलियो की सं. (करोड़)	कुल जमा	छूट	निवल आमद	अवधि समाप्त होने पर शुद्ध एयूएम (AUM)
2019-20#	8.71	154.67	152.85	1.82	26.54
2020-21#	9.43	65.47	62.71	2.76	31.02

स्रोत: सेबी

टिप्पणी: # संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर तक

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश

4.47 2020-21 (दिसंबर तक) भारतीय पूँजी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के माध्यम से 2.1 लाख करोड़ रुपयों का निवल आमद हुई थी, 2019-20 में इसी अवधि के दौरान निवल आमद 0.81 लाख करोड़ रुपयों की थी। एफपीआई (अधिग्रहण लागत पर) द्वारा कुल संचयी निवेश में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि आई और यह 31 दिसंबर 2019 में 259.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 31 दिसंबर 2020 को 273.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।

तालिका 11: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश

वर्ष/ माह	कुल खरीद	कुल बिक्री	शुद्ध निवेश	शुद्ध निवेश	संचयी शुद्ध निवेश
	(करोड़ रु. में)		(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)		
2019-20#	13,79,888	12,99,141	80,746	11,465	2,59,581
2020-21#	16,65,483	14,54,050	2,11,433	28,543	2,73,618


स्रोत: एनएसडीएल

नोट/टिप्पणी: संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर तक

भारतीय बेंचमार्क सूचकांक की प्रवृत्ति


4.48 भारतीय बेंचमार्क सूचकांक, निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई 20 जनवरी 21 को क्रमशः 14644.7 तथा 49792.1 पर पहुंच गया। इस वित्त वर्ष की शुरुआत में कोविड-19 की वजह से अनिश्चितता के कारण कुछ महत्वपूर्ण सुधार हुए हालांकि निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स दोनों ही सूचकांक इसके बाद बहुत मजबूत हुए। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का बेंचमार्क इंडेक्स 31 मार्च 2020 को 29,468 था, इसमें 68.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 20 जनवरी 2021 को यह 49792.1 हो गया। इसी अवधि के यानि 31 मार्च से 20 जनवरी 2021 तक में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी 50 इंडेक्स/ सूचकांक में 70.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चित्र 16 (क))। एनएसई द्वारा परिचालित इंडेक्स/सूचकांक-इंडिया VIX, जो अगले 30 दिनों में सक्रिय व्यापारियों द्वारा निफ्टी 50 में होने वाले अनुमानित उतार-चढ़ाव का संकेत देता है, में भी मार्च 2020 से बहुत अधिक गिरावट आई, इससे शेयर बाजार में अस्थिरता का पता चलता है।

चित्र 16 (क): भारतीय बेंचमार्क सूचकांक की प्रवृत्ति



स्रोत: बीएसई और एनएसई

चित्र 16 (ख): इंडिया VIX



स्रोत: एनएसई

4.49 कोविड-19 महामारी को देखते हुए, सेबी द्वारा कई उपाए किए गए। आरबीआई द्वारा ऋण स्थगन अवधि में, यदि सीआरए का यह विचार है कि ब्याज/ मूलधन के भुगतान में होने वाली देरी केवल लॉकडाउन के कारण हुई है, तो सीआरए इसे डिफॉल्ट मानने पर विचार कर सकती है और/ या डिफॉल्ट मान सकती है। इसके अलावा, प्रेस विज्ञप्तियों और वेबसाइट पर प्रकटीकरण के लिए समय-सीमा में विस्तार भी दिया गया था। सीआरए को रेटिंग को डिफॉल्ट से नॉन-इन्वेस्टमेंट ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए 90 दिनों के क्युरिंग पीरियड (संसाधन अवधि) से बचने का विकल्प दिया गया था। सेबी (SEBI) ने एफपीआई से संबंधित दस्तावेजों के प्रसंस्करण में, नामित अमानतदार (डिपॉजिटरी) प्रतिभागियों/ निधिपालकों को पंजीकरण हेतु अनुरोध(धों) की प्रक्रिया शुरू करने/ निरंतरता/ केवाईसी/ केवाई समीक्षा और निर्धारित ईमेल आईडी से मिले हस्ताक्षरित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों (मूल प्रति की बजाए) और अप्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियों के आधार पर किसी प्रमुख बदलाव को करने से अस्थायी रूप से छूट दी। इसके अलावा, गैर-परिवर्तनीय डिबंचरों, गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय तरजीही शेयर और वाणिज्यिक पत्रों के सूचीबद्ध जारीकर्ताओं के लिए मालगुजारी से संबंधित अनुपालन के प्री-लिस्टिंग और पोस्ट-लिस्टिंग की शर्तों में भी छूट दी गई थी।

बीमा क्षेत्र

4.50 बीमा क्षेत्र के प्रदर्शन और क्षमता का आकलन दो संकेतकों पर किया जाता है-इंश्योरेंस पेनेट्रेशन (बीमा पैठ) और इंश्योरेंस डेसिटी (बीमा घनत्व)। इंश्योरेंस पेनेट्रेशन की गणना जीडीपी के बीमा प्रीमियम प्रतिशत के रूप में की जाती है और इंश्योरेंस डेसिटी की गणना आबादी के बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में की जाती है।

4.51 भारत में, जहां 2001 में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन 2.71 प्रतिशत थी, में लगातार वृद्धि हुई और 2019 में यह 3.76 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, एशिया यानि मलेशिया, थाईलैंड और चीन में 2019 में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन क्रमशः 4.72, 4.99 और 4.30 प्रतिशत था। वर्ष 2019 में, भारत में जीवन बीमा के लिए पेनेट्रेशन 2.82 प्रतिशत था जबकि गैर-जीवन बीमा इससे कहीं कम, 0.94 प्रतिशत था (तालिका 13 और 14)। विश्व में, 2019 में, जीवन बीमा के क्षेत्र में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन 3.35 प्रतिशत और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में 3.88 प्रतिशत

था। हालांकि भारत में दोनों ही क्षेत्रों में पेनेट्रेशन कम है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में गैर-जीवन बीमा के क्षेत्र में यह विशेष रूप से कम है (चित्र 17)

4.52 भारत में इंश्योरेंस डेंसिटी जो 2001 में 11.5 अमेरिकी डॉलर था, 2019 में यह करीब 78 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2019 में तुलनात्मक रूप से मलेशिया, थाईलैंड और चीन के आकड़े कहीं अधिक थे। इन देशों के लिए यह क्रमशः 536 अमेरिकी डॉलर, 389 अमेरिकी डॉलर और 430 अमेरिकी डॉलर था। भारत में 2019 में जीवन बीमा घनत्व (डेंसिटी) 58 अमेरिकी डॉलर और गैर जीवन बीमा तो बहुत ही कम 19 अमेरिकी डॉलर थी (तालिका 12 और 13)। वर्ष 2019 में जीवन बीमा के क्षेत्र के लिए विश्व में बीमा घनत्व (डेंसिटी) 379 अमेरिकी डॉलर और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र के लिए 439 अमेरिकी डॉलर था। संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर-जीवन श्रेणी में बीमा घनत्व विशेष रूप से अधिक है। वैश्विक औसत और अन्य तुलनीय देशों के मुकाबले भारत में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन बहुत कम है (चित्र 18)।

तालिका 12: जीवन बीमा में पैठ और घनत्व (पेनेट्रेशन और डेंसिटी)

विवरण	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
इंश्योरेंस पेनेट्रेशन (प्रतिशत में)	3.10	2.60	2.72	2.72	2.76	2.74	2.82
इंश्योरेंस डेंसिटी (अमेरिकी डॉलर में)	41.0	44.0	43.2	46.5	55.0	55.0	58.0


स्रोत: स्विसरे, सिग्मा के विभिन्न अंक

तालिका 13: गैर-जीवन बीमा में पैठ और घनत्व (पेनेट्रेशन और डेंसिटी)

विवरण	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
इंश्योरेंस पेनेट्रेशन (प्रतिशत में)	0.80	0.70	0.72	0.77	0.93	0.97	0.94
इंश्योरेंस डेंसिटी (अमेरिकी डॉलर में)	11.0	11.0	12.0	13.2	18.0	19.0	19.0

स्रोत: स्विसरे, सिग्मा के विभिन्न अंक


चित्र 17: 2019 में बीमा पैठ (प्रतिशत)



स्रोत: स्विसरे, सिग्मा के विभिन्न अंक

टिप्पणी: #आंकड़े वित्त वर्ष से संबंधित हैं।

चित्र 18: 2019 में बीमा घनत्व/ इंश्योरेंस डेसिटी (अमेरिकी डॉलर में)



स्रोत: स्विसरे, सिग्मा के विभिन्न अंक

टिप्पणी: #आंकड़े वित्त वर्ष से संबंधित हैं।

4.53 वर्ष 2018-19 में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं से मिलने वाला सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 1.69 लाख करोड़ रुपये था जिसमें 2019-20 के दौरान 11.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1.89 लाख करोड़ रुपये हो गया। गैर-जीवन श्रेणी में इस वृद्धि में सबसे प्रमुख योगदानकर्ता-मोटर और स्वास्थ्य क्षेत्र रहे। जीवन-बीमा उद्योग ने 2019-20 में, पिछले वित्त वर्ष में 5.08 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 5.73 लाख करोड़ रु. के प्रीमियम आय की और 12.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हालांकि जीवन बीमा कराने वालों से मिलने वाला नवीकरण प्रीमियम कुल प्रीमियम का 54.75 प्रतिशत है, बाकी का 45.25 प्रतिशत नए कारोबार से आया।

4.54 कोविड-19 के कारण किए गए कुछ महत्वपूर्ण नियामक उपाय इस प्रकार हैं:

- केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया गया और 54 बीमा कंपनियों को यूआईडीएआई की आधार प्रमाणन सेवाओं के माध्यम से कागजरहित केवाईसी प्रक्रिया करने की अनुमति दी गई।
- कोविड-19 बीमारी के लिए कवरेज देने के साथ अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए, ये निर्देश 31/3/2021 तक मान्य हैं। दिशानिर्देश के अनुसार 1) जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा करने वाली सभी कंपनियों को कोविड-19 विशिष्ट अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी देने की अनुमति दी गई। 2) पॉलिसी न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 11 माह की होगी 3) जीवन बीमा करने वालों को केवल लाभ.आधारित पॉलिसी देने की अनुमति है, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा करने वाले क्षतिपूर्ति आधारित और लाभ आधारित, दोनों प्रकार का बीमा कर सकते हैं, 4) बीमा कर्ता, 2016 एचआई (HI) नियमों में निर्धारित मूल्य मानदंडों और इसके तहत जारी किए गए निर्देशों का पालन करेंगे, 5) प्रतीक्षा अवधि 15 दिनों से अधिक की नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के अलग से कुछ जोड़े जाने की अनुमति नहीं है। आजीवन नवीकरण, माइग्रेशन और पोर्टबिलिटी लागू नहीं है।

- मानक लाभ-आधारित पॉलिसी, कोरोना रक्षक पॉलिसी और मानक स्वास्थ्य पॉलिसी- कोरोना कवच पॉलिसी, के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन्हें क्षतिपूर्ति आधार पर दिया जाएगा और बीमाकर्ताओं को इन उत्पादों को 10 जुलाई 2020 से उपलब्ध कराने को कहा गया था।

पेंशन क्षेत्र

4.55 एनपीएस के तहत कुल योगदान में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। सभी नागरिक मॉडल/यूओएस द्वारा दर्ज अधिकतम वृद्धि (52.3 प्रतिशत) थी, इसके बाद एपीवाई (46.1 प्रतिशत), कॉरपोरेट क्षेत्र (34.8 प्रतिशत) और राज्य सरकार क्षेत्र (30.7 प्रतिशत) आते हैं। 30 सितंबर 2020 को एनपीएस के प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां (असेट अंडर मैनेजमेंट/ एयूएम) 4,94,930 करोड़ रु. थीं। सितंबर 2019 के आखिर में यह एयूएम 3,71,393 करोड़ रु. था, इस प्रकार इसमें कुल 33.3 प्रतिशत (साल-दर-साल/ YoY) की वृद्धि दर्ज की गई (तालिका 15)। वर्ष के दौरान एपीवाई के तहत अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई-49.2 प्रतिशत, इसके बाद ऑल-सिटिजन्स/ यूओएस (45.8 प्रतिशत), कॉरपोरेट क्षेत्र (39.6 प्रतिशत) और राज्य सरकार क्षेत्र (33.9 प्रतिशत) आते हैं।

तालिका 14: एनपीएस की स्थिति (30 सितंबर 2020 तक की स्थिति)

	सदस्यों की सं.		साल- दर-साल वृद्धि	योगदान		साल- दर-साल वृद्धि	एयूएम		साल- दर-साल वृद्धि
				(करोड़ रु. में)			(करोड़ रु. में)		
	सितं-19	सितं-20	%	सितं-19	सितं-20	%	सितं-19	सितं-20	%
सीजी/CG	20.26	21.3	5.1	88300	111293	26	124703	160606	28.8
एसजी/SG	45.51	48.97	7.6	143816	188000	30.7	186849	250260	33.9
कॉरपोरेट	8.77	10.46	19.3	28031	37788	34.8	36340	50730	39.6
यूओएस/ UOS#	10.24	13.58	32.6	11344	17282	52.3	11127	16224	45.8
एनपीएस लाइट	43.4	43.17	-0.5	2624	2776	5.8	3631	4068	12
एपीवाई	178.21	236.85	32.9	7927	11585	46.1	8743	13042	49.2
कुल	306.39	374.32	22.2	282042	368725	30.7	371393	494930	33.3

स्रोत: पीएफआरडीए

टिप्पणी: सीजी-केंद्र सरकार, एसजी. राज्य सरकार, #UoS- सभी सिटिजन मॉडल, एपीवाई- अटल पेंशन योजना

4.56 कोविड-19 के मद्देनजर, निम्नलिखित समेत कई नियामक उपाय किए गए थे।

- पेंशन निधि और निधिपाल (कस्टोडियन) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों को जमा करने की समय-सीमा में विस्तार हेतु एडवाइजरी जारी की गई।

- कोविड-19 के कारण, सभी पेंशन निधियों, निधिपाल (कस्टोडियन) और एनपीएस ट्रस्ट के लिए वार्षिक लेवा और अन्य वार्षिक एमआईएस को जमा करने की समय-सीमा को एक माह यानि (30.06.2020 तक) के लिए बढ़ाए जाने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया।
- कोविड-19 के इलाज के लिए एनपीएस से कम मात्रा में धन निकालने की अनुमति दी गई।
- आधार संख्या-आधारित ऑफलाइन कागजमुक्त केवाईसी सत्यापन के माध्यम से एनपीएस ऑन-बोर्डिंग पर ऑनलाइन कार्य
- बैंक के वेब-पोर्टल के माध्यम से, उनके बचत बैंक उपभोक्ताओं द्वारा नेट-बैंकिंग का उपयोग किए बिना, एपीवाई सब्सक्राइबर्स का ऑनलाइन पंजीकरण।
- एनपीएस के लिए वीडियो आधारित उपभोक्ता पहचान प्रक्रिया की अनुमति।


दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

4.57 दिसंबर 2016 से संहिता बनाए जाने के बाद से, 31 दिसंबर 2020 तक 4,117 आवेदन स्वीकार किए गए हैं (चित्र 19)। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजलूशन प्रॉसेस/ सीआईआरपी) के लागू होने से पहले ही लगभग 23 प्रतिशत मामलों को सुलझाया या बंद किया जा चुका था। 1420 मामलों, जिनके लिए सीआईआरपी (CIRP) प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, नतीजे के रूप में समाधान के करीब 3.6 गुणा परिशोधन हुआ है। हालांकि इससे संहिता के प्रदर्शन की वास्तविक तस्वीर नहीं मिलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिशोधन की प्रक्रिया के 73 प्रतिशत (799 मामले) मामले और समाधान की प्रक्रिया के 33 प्रतिशत (101 मामले) मामलों को पूर्व के औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड(बीआईएफआर) से लाया गया था। आईबीसी, बीआईएफआर परंपरा वाले 101 मामलों को पुनर्जीवित करने में सक्षम हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों को अधिकांश निवल मूल्य समाप्त हो चुका डेड कॉर्पस (निष्क्रिय राशि) माना जाता है। ऐसे 91 मामलों को पुनर्जीवित करने में सक्षम होना, अपने-आप में उपलब्ध है। गैर-बीआईएफआर परंपरा के लिए सीआईआरपी ने अब तक 195 का समाधान और 288 का परिशोधन किया है। इसका यह भी अर्थ है कि बीआईएफआर मामलों से तुलना करने पर गैर-बीआईएफआर संपत्ति मामलों के लिए समाधान दर तीन गुना अधिक, 40 प्रतिशत, है। (चित्र 20)

चित्र 19: सीआईआरपी की शुरुआत के बाद से स्थिति (दिसंबर 2020 तक)

Admitted	•CIRPS AT THE BEGINNING OF PERIOD - 4,117	
Closure by	•APPEAL/REVIEW SETTLED - 549 •WITHDRAWAL UNDER SECTION 12 A - 348 •APPROVAL OF RESOLUTION PLAN - 308 •COMMENCEMENT OF LIQUIDATION - 1,112	
Ongoing	•CIRPS AT THE END OF PERIOD - 1,800	


चित्र 20: बीआईएफआर और गैर-बीआईएफआर वर्गीकरण के आधार पर सीआईआरपी के नतीजे



स्रोत: आईबीबीआई

4.58 मार्च 2020 के अंत में ऑनगोइंग सीआईआरपी 1966 (चित्र 21) रहा है। कोविड-19 महामारी के महेनजर, 'दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश, 2020' को 5 जून 2020 से लागू किया गया था, जिसने 25 मार्च 2020 को या उसके बाद उत्पन्न हुए किसी चूक के लिए कॉरपोरेट ऋणकर्ता (सीडी) पर सीआईआरपी चलाने पर रोक लगा दी थी इसकी वजह से नए मामलों को दर्ज करने के संदर्भ धारा 7, 9 तथा धारा 10 के तहत। इसके अलावा, सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण संकट में आई कंपनियों को राहत देने के लिए इस सहिता के निलंबन को तीन महीनों के लिए दो बार-24 सितंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020, तक बढ़ाया। सतत समाधान के साथ-साथ इस छूट के कारण जुलाई 2020 से मामलों में निरंतर कमी आई है।


चित्र 21: विभिन्न अवधियों में सीआईआरपी संचयीकरण



स्रोत: आईबीबीआई

4.59 विनिर्माण क्षेत्र, रियल स्टेट और निर्माण क्षेत्र चल रहे सीआईआरपी में उन शीर्ष तीन क्षेत्रों में हैं जिनका सीआईआरपी क्रमशः 39 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 11 प्रतिशत है (चित्र 22)।


चित्र 22: क्षेत्र-वार सीआईआरपी की स्थिति (दिसंबर 2020 तक)



स्रोत: आईबीबीआई

4.60 समाधान: संहिता ने योजनाओं के माध्यम से दिसंबर 2020 तक 308 कॉर्पोरेट ऋणकर्ताओं (सीडी) को बचाया है। इन्होंने ऋणदाताओं से 4.99 लाख करोड़ रुपये ले रखे थे। हालांकि, जब उन्होंने सीआईआरपी में प्रवेश किया तब उनके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य, मात्र 1.03 लाख करोड़ रुपये था।

चित्र 23: विभिन्न चैनलों के माध्यम से एससीबी की एनपीए वसूली



स्रोत: ऑफ.साइट रिटर्न्स, आरबीआई और आईबीबीआई

टिप्पणी: P- अनंतिम

संहिता के तहत, ऋणदाताओं ने 1.99 लाख करोड़ रुपयों की वसूली की जो इन ऋणकर्ताओं (सीडी) के वास्तविक मूल्य का करीब 193 प्रतिशत से अधिक था। संहिता के तहत वसूली आकस्मिक है, फिर भी वित्तीय ऋणदाताओं (एफसी) के लिए वसूली, उनके दावों की तुलना में, संहिता के लागू होने के बर्षों के बाद से 43 प्रतिशत से अधिक रही। यह ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों, जैसे लोक अदालत, डीआरटी और सरफेसी में से अधिक है। संहिता ने बैंकों द्वारा एनपीए की वसूली की सुविधा दी। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि दावों के प्रतिशत के रूप में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईबीसी के माध्यम से फंसे हुए धन का 45.5 प्रतिशत धन वसूलने में सक्षम रहे, यह अन्य तरीकों और कानूनों के तहत की जाने वाली वसूली की तुलना में सबसे अधिक है (चित्र 23)। इसके अलावा, आईबीसी के तहत एससीबी द्वारा वसूली गई धनराशि 1.73 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2019-20 के लिए संयुक्त रूप से सभी अन्य वैकल्पिक उपायों द्वारा वसूली गई कुल रकम की तुलना में अधिक है।

बाँक्स 2. बारह बड़े खातों की स्थिति

चूंकि कुछ ममलों में समाधान प्रक्रिया (रेजलूशन प्रॉसेस) में बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि शामिल है, इसलिए बैंकों द्वारा आरबीआई के निर्देशों के अनुसार जून 2017 में 12 बड़े खातों की समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी। परिशोधन मूल्य 73,220 करोड़ रु. के खिलाफ उनके कुल अदत्त दावे (आउटस्टैंडिंग क्लेम) 3.45 लाख करोड़ रु. के थे। इनमें से आठ सीडी के संबंध में समाधान योजना (रेजलूशन प्लान) को मंजूरी दे दी गई है और दो सीडी के परिशोधन के आदेश को पारित कर दिया गया है। इसलिए दो कंपनियों के लिए सीआईआरपी और दो कंपनियों के संबंध में परिशोधन प्रक्रिया जारी है और प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में है। 12 बड़े खातों की स्थिति तालिका 'अ' में दी गई है।

तालिका अ: 12 बड़े खातों की स्थिति (करोड़ रु. में)

सीडी का नाम	समाधान के तहत निपटाए जाने हेतु एफसी के दावे			परिसमापन मूल्य के प्रतिशत के रूप में सभी दावेदारों द्वारा की गई वसूली	सफल समाधान आवेदक
	स्वीकृत धनराशि	वसूली गई धनराशि	% दावों की वसूली		
पूर्ण					
इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड	13175	5320	40.38	183.45	वेदांता लिमि.
भूषण स्टील लिमिटेड	56022	35571	63.50	252.88	बमनीपाल स्टील लिमि.
मोनेट इस्पात और एनर्जी लिमिटेड	11015	2892	26.26	123.35	जेएसडब्ल्यू और एआईओएन इंवेस्टमेंट प्रा. लिमि. सहायता संघ
एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड	49473	41018	82.91	266.65	आर्सेलर मित्तल इंडिया प्रा. लिमि.
आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	29523	5052	17.11	115.39	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशल असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमि. जेएमएफएआरसी-मार्च 2018 द्वारा
ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड	7365	3691	50.12	387.44	श्री शरद संघी नीत एचएनआई का समूह

सीडी का नाम	समाधान के तहत निपटाए जाने हेतु एफसी के दावे			परिसमापन मूल्य के प्रतिशत के रूप में सभी दावेदारों द्वारा की गई वसूली	सफल समाधान आवेदक
	स्वीकृत धनराशि	वसूली गई धनराशि	% दावों की वसूली		
भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	47158	19350	41.03	209.12	जेएसडब्ल्यू समूह
जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड	23176	23223	100.20	130.82	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
एमटेक ऑटो लिमिटेड	12641	2615	20.68	169.65	डेक्कन वैल्यू इंवेस्टर्स एल. पी. और डीवीआई पीई (मॉरिशस) लिमिटेड

प्रक्रिया के अधीन	
एसा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	सीआईआरपी के अधीन
लैंचो इंफ्राटेक लिमिटेड	परिशोधन के अधीन
एबीजी शिपयाड लिमिटेड	परिशोधन के अधीन

स्रोत: आईबीबीआई

4.61 परिशोधन: हालांकि-सहिता ने 308 सीडी को जीनवदान दिया है, फिर भी 1112 सीडी का परिशोधन करना पड़ा। हालांकि यहां इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि लगभग 74 प्रतिशत परिशोधित सीआईआरपी (जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) पहले बीआईएफआर के साथ और/या निष्क्रिय हो चुके थे। बचाए गए सीडी की परिसंपत्तियों का मूल्य 1.03 लाख करोड़ रु. है जबकि परिशोधन के लिए संदर्भित सीडी (जिसका आंकड़ा उपलब्ध है) के परिसंपत्तियों का मूल्य जब उन्होंने सीआईआरपी में प्रवेश किया तब 0.43 लाख करोड़ रुपये था। इसलिए, मूल्य के संदर्भ में लगभग तीन चौथाई संकटग्रस्त संपत्तियों को बचा लिया गया था। 31 दिसंबर 2020 तक, 181 सीडी का पूरी तरह से परिशोधन किया जा चुका था। ऐसे कई सीडी थे जिनके पास आईबीसी प्रक्रिया शुरू होने के समय कोई काम या संपत्ति नहीं थी। इनका कुल मिलाकर 26251 करोड़ रुपयों के अदत्त दावे (आउटस्टैंडिंग क्लेम) थे लेकिन परिसंपत्तियों का मूल्य 598 करोड़ रु. था। इन कंपनियों के परिशोधन के माध्यम से 607 करोड़ रुपयों की प्राप्ति हुई।

4.62 समय-308 सीआईआरपी, जो दिसंबर 2020 के अंत तक समाधान योजना प्राप्त कर चुके थे, को प्रक्रिया को समाप्त करने में औसत 441 दिनों का समय लगा। इसी प्रकार, 1112 सीआईआरपी, जिनके लिए अंततः परिशोधन के आदेश दिए गए, इस प्रक्रिया को समाप्त करने में औसत 328 दिन लगे। इसके अलावा, 181 परिशोधन प्रक्रियाएं, जिन्हें 31-12-2020 तक अंतिम रिपोर्ट जमा कर बंद कर दिया गया था, को बंद करने में औसत 380 दिनों का समय लगा। इसी प्रकार, 352 स्वैच्छिक परिशोधन प्रक्रियाएं, जिन्हें अंतिम रिपोर्ट जमा कर पूरा कर लिया गया था, को, प्रक्रिया समाप्त करने में औसत 370 दिन लगे।

4.63 लागत-दिसंबर 2020 तक, कुल 308 सीआईआरपी ने समाधान योजना स्वीकार कर ली थी। 260 सीआईआरपी के लिए लागत विवरण उपलब्ध है। लागत, परिशोधन मूल्य का औसत 0.79 प्रतिशत और समाधान मूल्य का 0.42 प्रतिशत है।

व्यवहारिक परिवर्तन

4.64 संहिता ने ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं के बीच व्यवहार संबंधी महत्वपूर्ण बदलाव किए। समाधान प्रक्रिया के अपरिहार्य परिणाम (कंपनी का नियंत्रण और प्रबंधन वर्तमान प्रमोटरों और प्रबंधकों से दूर हुआ, लगभग, हमेशा के लिए) कंपनी के प्रबंधन और प्रमोटर को न्यूनतम दक्षता स्तर से कम पर संचालन करने से रोकता है और डिफॉल्ट से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने को प्रेरित करता है। इसके अलावा, यह ऋणकर्ताओं को जितनी जल्द हो सके ऋणदाताओं के साथ तेजी से चूक निपटने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, अधिमानतः संहिता के बाहर। ऐसे कई मामले हैं जिनमें ऋणकर्ताओं ने अपने स्तर पर अपने ऋणों का निपटान कर रहे हैं या नेशनल कंपनी लॉट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में आवेदन कर उनके स्वीकृत किए जाने से पहले निपटान कर रहे हैं। इसलिए संहिता ने महत्वपूर्ण व्यवहारिक परिवर्तन किए हैं और ऋणदाताओं - ऋणकर्ताओं के संबंध को पुनर्परिभाषित किया है। यहां इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि 2016 में '' संहिता के लागू होने के बाद से जिन 18,892 आवेदनों पर विचार किया जा रहा था, उनमें से 14,884 मामलों में 5.15 लाख करोड़ रु. का डिफॉल्ट था, इन मामलों को एए द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले सितंबर 2020 तक एनसीएलटी (NCLT) की विभिन्न पीठों से वापस ले लिया गया था और 897 प्रक्रियाओं की बीच में ही दिसंबर 2020 तक बंद कर दिया गया था। ये आंकड़े बताते हैं कि करीब 83 प्रतिशत सीडी का निपटान, दोषी (चूककर्ताओं) ऋणकर्ताओं में व्यवहार परिवर्तन के कारण संहिता के तहत सीआईआरपी के आधिकारिक रूप से शुरू करने से पहले, ही हो जाता है। केवल 7 प्रतिशत सीडी पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं जो समाधान या परिशोधन में से किसी एक को स्वीकार करते हैं। बाकी के 10 प्रतिशत सीडी अभी भी प्रक्रिया के अधीन हैं (तालिका 15 और 16)

तालिका 16: संहिता के परिणाम: किए गए आवेदनों की स्थिति (दिसंबर 2020 तक)

विवरण	कॉरपोरेट्स की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)	
किए गए आवेदन	28,441	लागू नहीं	
विचार किए जाने के लिए लंबित आवेदन	9,549	लागू नहीं	
निपटाए गए आवेदन	18,892	परिशोधन मान	वसूली मान
स्वीकार किए जाने से पहले आवेदन वापस लेना'	14,884*	लागू नहीं*	5,15,170*
शुरू की गई प्रक्रिया	4,117	लागू नहीं	लागू नहीं
बीच में बंद कर दी गई प्रक्रिया	897	लागू नहीं	लागू नहीं
समाधान योजना द्वारा बंद प्रक्रिया	308	1,03,270	1,99,511
परिशोधन के लिए बंद प्रक्रिया	1,112	42,362	लागू नहीं
जारी प्रक्रिया	1,800	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत: आईबीबीआई

टिप्पणी: * स्वीकार किए जाने से पहले आवेदन वापस लेने के आंकड़े एमसीए (MCA) तैयार करता है (ये आंकड़े सितंबर 2020 के हैं)

तालिका 16: संकटग्रस्त संपत्तियों का बचाव (दिसंबर 2020 तक)

विवरण	बचाई गई कंपनियां	परिशोधन का आदेश प्राप्त करने वाली कंपनियां
कंपनियों की संख्या	308	1,112
कुल दावे	4,99,928	6,04,574
कुल परिशोधन मूल्य	1,03,270	43,048
उपलब्ध संपत्ति, कुल दावों का %	20.65	7.12
समाधान मान	1,99,511	लागू नहीं
समाधान मान, परिशोधन मान का %	193.19	लागू नहीं
समाधान मान, कुल दावों का %	39.91	लागू नहीं
प्रक्रिया में लगा औसत समय	441 दिन	328 दिन
समाधान मान का % लागत	0.42	लागू नहीं

स्रोत: आईबीबीआई और एमसीए/ IBBI and MCA

4.65 कोविड-19 को देखते हुए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए थे:

- सरकार ने दिवालिया प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक चूक राशि की सीमा को, मार्च 2020 के अंत में, बढ़ाकर 1 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये कर दिया था।
- दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश, 2020, में धारा 10ए को शामिल किया गया ताकि धारा 7, 9 और 10 के तहत कॉरपोरेट ऋणकर्ता (सीडी) पर, 25 मार्च 2020 को या उसके बाद, होने वाली किसी भी चूक के लिए कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू न कि जा सके। इसे 3 महीने के लिए 25 सितंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 तक और बढ़ा दिया गया था।

4.66 इसके अलावा, न्यायपालिका और नियामक द्वारा कई उपाय किए गए थे, इनमें शामिल हैं:

- आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार सीआईआरपी में पहले से वर्तमान मामलों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी कर सभी मामलों के लिए सीमा अवधि को बढ़ा दिया, यह 15 मार्च 2020 से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक प्रभावी बना रहेगा।
- एनसीएलएटी/ NCLAT ने, 30 मार्च 2020 को जारी आदेश में, ने निर्णय दिया कि संहिता की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को समाधान प्रक्रिया के अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा, और यह आदेश उन सभी मामलों पर लागू होगा जिनमें सीआईआरपी शुरू की जा चुकी है और एनसीएलएटी की किसी पीठ के समक्ष लंबित है या एनसीएलएटी में अपील की गई है। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि एनसीएलएटी द्वारा संहिता के तहत किसी भी एक या अन्य अपील के तहत पारित कोई भी अनंतिम आदेश/स्थगन आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा।
- आईबीबीआई ने उपरोक्त नियमों में संशोधन किया ताकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को ऐसी किसी भी गतिविधि की समय-सीमा में न गिना जाए जिसे लॉकडाउन के कारण पूरा न किया जा सकता हो, सीआईआरपी और परिशोधन प्रक्रिया के संबंध में, यह संहिता में प्रदत्त कुल समय-सीमा के अधीन है।

अध्याय एक नज़र में

- मौद्रिक नीति 2020 में उदार बनी रही।
- मार्च 2020 से अब तक रेपो दर में 115 बेसिक प्वाइंट्स की कमी की गई।
- वर्ष 2020-21 में प्रणालीगत तरलता (सिस्टेमिक लिक्विडिटी) अधिशेष बनी हुई है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रबंध हेतु ओएमओ, दीर्घकालिक रेपो परिचालन, लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन आदि जैसे कई परंपरागत और गैर-परंपरागत उपाय किए।
- मुद्रा आपूर्ति वृद्धि के लिए उच्च आरक्षित धन वृद्धि का संरचन केवल आंशिक था, इससे तरलता संरचन में अव्यवस्था का पता चलता है क्योंकि बैंकों को रिवर्स रेपो के तहत आरबीआई में अधिक पैसा जमा रखना पड़ रहा था।
- बैंकों की ऋण वृद्धि में 1 जनवरी 2021 को 6.7 प्रतिशत पर आ गई। बैंकिंग क्षेत्र से ऋण लिए जाने में कमी व्यापक मंदी की साक्षी है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2020 के आखिर में 8.21 प्रतिशत था जो सितंबर 2020 के आखिर में 7.49 प्रतिशत रह गया। हालांकि इसे महामारी के कारण ऋणकर्ताओं को दी गई संपत्ति वर्गीकरण राहत के साथ देखा जाना चाहिए।
- इस वर्ष जमा और उधार देने की दरों में कम नीति दरों के मौद्रिक संचरण में सुधार हुआ।
- 20 जनवरी 2021 को निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और क्रमशः 14644.7 तथा 49792.12 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।
- आईबीसी के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बसूली दा (इसकी स्थापना से) 45 प्रतिशत से अधिक रही है।
- कोविड-19 महामारी के मददेनजर कॉर्पोरेट इन्सॉलवेन्सी रिसॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) की शुरूआत को 25 मार्च 2020 को या उसके पश्चात उत्पन्न किसी भी प्रकार की चूक के लिए 6 माह तक निलंबित कर दिया गया था। इस निलंबन को 24 सितंबर 2020 तथा 22 दिसंबर 2020 को दो वार तीन-2 माह के लिए विस्तारित किया गया था। सतत समाधान के साथ-साथ इस छूट के कारण कुल मामलों में मामूली कमी आई।

अनुलग्नक 1:

कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बैंकों के संदर्भ में विनियामक नीतिगत उपाय

घोषणा की तिथि	घोषित उपाय
27 मार्च 2020	<p>i) कोविड-19 विनियामक पैकेज की घोषणा की गई; जिसमें ऋण देने वाली संस्थाओं को 1 मार्च 2020 को, बकाया पर कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट के रूप में मंजूर किए गए सावधि ऋण और कार्यशील पूँजी की किस्तों के संदर्भ में तीन महीने यानि 01 मार्च 2020 से 31 मई 2020, के लिए ऋण स्थगन और ब्याज पर न लेने की अनुमति दी गई थी;</p> <p>ii) 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाले एनएसएफआर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को 27 मार्च 2020 को छह महीने यानि 1 अक्टूबर 2020, के लिए टाल दिया गया था;</p> <p>iii) पूँजी संरक्षण बफर (कैपिटल कंजर्वेशन बफर-सीसीबी/ CCB) की 0.625 प्रतिशत की अंतिम किश्त के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक टाल दिया गया।</p>
01 अप्रैल 2020	प्रतिचक्रीय पूँजी बफर योजना (काउंटर सिक्लिकल कैपिटल बफर- सीसीवाईबी/ CCyB) को लागू करने में एक वर्ष या उससे कम समय के लिए टालने का फैसला, जैसा आवश्यक हो, सीसीवाईबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर किया गया।
17 अप्रैल 2020	<p>i) संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के संबंध में समीक्षा अवधि के लिए 01 मार्च 2020 को क्रमशः समय-सीमा में विस्तार, समीक्षा अवधि में खातों के लिए समाधान अवधि और बिना किसी अतिरिक्त प्रावधानों के समाधान के रूप में अस्थायी राहत दी गई थी;</p> <p>ii) 27 मार्च 2020 को जारी परिपत्र के अनुसार जिन खातों के लिए संपत्ति वर्गीकरण स्थगन की अनुमति दी गई थी, को मंजूर कर कुछ राहत प्रदान की गई जबकि बैंकों को किसी भी संभावित चूक को दूर करने में पूरी तरह से समक्ष बनाना सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं को समान रूप से सख्त बनाया गया;</p> <p>iii) सभी बैंक 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में अगले आदेश दिए जाने तक वित्त वर्ष के दौरान हुए लाभ के लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे;</p> <p>iv) विवेकपूर्ण तरलता आवश्यकताओं के संबंध में की गई घोषणाएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> क. बैंकों द्वारा धारित सभी एसएलआर-योग्य संपत्तियां को, एलसीआर को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए माने जाने की अनुमति दी गई। ख. बैंकों के नकद प्रवाह के बोझ को समायोजित करने के लिए, बैंकों को निम्नानुसार एलसीआर बनाए रखने की अनुमति दी गई है: <ul style="list-style-type: none"> • परिपत्र की तिथि से 30 सितंबर 2020 - 80 प्रतिशत • 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 - 90 प्रतिशत; • 1 अप्रैल 2021 के बाद - 100 प्रतिशत

घोषणा की तिथि	घोषित उपाय
29 अप्रैल 2020	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, पेमेंट बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, एआईएफआर और सहकारी बैंकों द्वारा विनियमन विभाग को जमा किए जाने वाले सभी विनियामक रिटर्न्स को भेजने की समय-सीमा में ढील दी गई और ये सभी संस्थाएं निर्धारित तिथि के बाद 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न्स भर सकते हैं। समय-सीमा में दी गई यह छूट 30 जून 2020 तक जमा किए जाने वाले नियामक रिटर्न्स पर लागू थी।
23 मई 2020	<p>i) कुछ उपायों में ढील दी गई थी। ऋण देने वाली संस्थाओं को और तीन महीने यानी 1 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक ऋण चुकाने में छूट देने की अनुमति दी गई। ऋण दाता संस्थानों को, उनके विवेकानुसार, सीसी/ओडी के मामले में संचयी ब्याज को, 31 अगस्त 2020 तक स्थगन अवधि के लिए, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन (एफआईटीएल/ FITL) में बदलने की अनुमति दी गई, जिनका भुगतान 31 मार्च 2021 तक कर दिया जाना होगा। महामारी के कारण संकट से जूझ रहीं सी/ओडी सुविधाओं के संबंध में ऋण दाता संस्थानों को 31 अगस्त 2020 तक एक बार के उपाय के रूप में मुनाफे को कम कर अर्हण क्षमता की पुनर्गणना इस प्रकार करने की की अनुमति दी गई थी कि 31 मार्च 2021 तक मुनाफा प्राप्त कर लिया जाए और/या कार्यशील पूँजी चक्र के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर 31 मार्च 2021 तक कार्यशील पूँजी की स्वीकृत सीमाओं की जांच करें।</p> <p>ii) एक बार के उपाय के रूप में बैंक के योग्य पूँजी आधार के 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक जुड़े समकक्षों के समूह के लिए बैंक का जोखिम बढ़ाया गया। बढ़ाई गई यह सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।</p> <p>iii) बैंकों की प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण मंजूरी की अधिकतम स्वीकार्य सीमा में, 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण हेतु एक वर्ष से 15 माह की वृद्धि;</p> <p>iv) 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 की अवधि को छोड़ कर, 01 मार्च 2020 तक क्रमशः समीक्षा अवधि की गणना और समीक्षा अवधि में खातों के समाधान और बिना अतिरिक्त प्रावधानों के समाधान की समय-सीमा में विस्तार।</p>
21 जून 2020	ऋण दाता संस्थानों द्वारा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत दी जाने वाली ऋण सुविधाएं (गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन) गारंटी कवरेज की सीमा तक शून्य जोखिम भार पर देने की अनुमति दी गई।
01 जुलाई 2020	<p>i) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से एनबीएफसी/ एचएफसी की तरलता स्थिति में सुधार के लिए योजना के तहत एनबीएफसी/ एचएफसी के लिए पात्रता मानदंड जारी किया।</p> <p>ii) बैंकों को ऋण के माध्यम से प्रोमोटर्स द्वारा अपने एमएसएमई इकाईयों में लगाए गए धन को पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी, ये ऋण संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लिए गए थे जिन्हें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) द्वारा ऋण-इक्विटी गणना के लिए प्रमोटरों से इक्विटी/ क्वासी इक्विटी के रूप में जारी किया गया था।</p>

घोषणा की तिथि	घोषित उपाय
06 अगस्त 2020	<p>i) प्रूडेंशल फ्रेमवर्क के तहत स्वामित्व में बदलाव किए बिना और पर्सनल लोन के लिए योग्य कॉरपोरेट ऋण जोखिम के संबंध में समाधान योजना को लागू करने में ऋणदाताओं को सक्षम बनाने के लिए एक विंडो दिया जाता है जबकि ऐसे ऋण जोखिमों को मानक माना जाता है और ये निर्धारित शर्तों के अधीन होते हैं;</p> <p>ii) गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए सोने के गहनों और जेवरों पर लोन-टू-वैल्यू रेश्यो (एलटीवी/ LTV) को 75 प्रतिशत से बढ़ा कर 90 प्रतिशत कर दिया;</p> <p>iii) 01 मार्च 2020 को 'स्टैंडर्ड/ मानक' के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एमएसएमई अग्रिमों के एक बार पुनर्गठन की सुविधा और इसे 25 करोड़ रु. से अधिक नहीं होना चाहिए।</p>
07 सितंबर 2020	विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, ऋण दाता संस्थानों को समाधानीयोजना के संबंध में वित्तीय अनुमान तैयार करते समय पांच मुख्य अनुपातों-कुल बकाया देनदारियां/ समायोजित वास्तविक निवल मूल्य (टीओएल/एटीएनडब्ल्यू), कुल ऋण/ ईबीआईटीडीए, वर्तमान अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर), औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (एडीएससीआर), के क्षेत्र विशेष समय-सीमा पर विचार करना होगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित 26 क्षेत्रों की सीमा को अधिसूचित किया गया था जबकि ऋण दाता संस्थानों को अन्य क्षेत्रों के संबंध में स्वयं आंतरिक मूल्यांकन करने की सलाह दी गई थी।
29 सितंबर 2020	पूंजी संरक्षण बफर (कैपिटल कंजर्वेशन बफर-सीसीबी/ CCB) की 0.625 प्रतिशत की अंतिम किश्त के कार्यान्वयन को 30 सितंबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक टाल दिया गया एनएसएफआर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, जिसे 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाना था, को छह और माह के लिए टाल दिया गया था। अब ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगे।
16 अक्टूबर 2020	16 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद से 31 मार्च 2022 तक बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए आवास ऋणों के लिए एलटीवी अनुपात की सीमा बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी गई।
26 अक्टूबर 2020	रिजर्व बैंक ने 23 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का अनुरोध के आधार पर किए जाने वाले भुगतान को विशेष ऋण खातों में (1.3.2020 से 31.8.2020) ('योजना') मंजूर करने के लिए घोषित योजना के बारे में ऋणदाता संस्थानों को सलाह दी।